इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2018—श्रावण 5, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्र. 12425-250-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८

विषय-सूची

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.
- २. धारा २ का संशोधन.
- ३. धारा ४ का संशोधन.
- ४. धारा ७ का संशोधन.
- ५. धारा ११ का स्थापन.
- ६. धारा १३ का संशोधन.
- ७. धारा १३-क का अंत:स्थापन.
- ८. धारा १९ का स्थापन.
- ९. धारा २१ का लोप.
- १०. धारा २२ का स्थापन.
- ११. धारा २४ का स्थापन.
- १२. धारा २७ का संशोधन.
- १३. धारा २८ का संशोधन.
- १४. धारा २९ का स्थापन.
- १५. धारा ३५ का संशोधन.
- १६. धारा ४१ का लोप.
- १७. धारा ४४ का स्थापन.
- १८. धारा ४५ का लोप.
- १९. धारा ४६ का स्थापन.
- २०. धारा ४७ का स्थापन.
- २१. धारा ४९ का संशोधन.
- २२. धारा ५० का स्थापन.
- २३. धारा ५१ का संशोधन.
- २४. धारा ५४ का स्थापन.
- २५. धारा ५५ का लोप.
- २६. धारा ५६ का संशोधन.
- २७. धारा ५७ का संशोधन.
- २८. धारा ५८ का संशोधन.
- २९. धारा ५८-क का स्थापन.
- ३०. धारा ५८-ख का लोप.
- ३१. धारा ५९ का स्थापन.
- ३२. धारा ६० का स्थापन.
- ३३. अध्याय सात तथा अध्याय आठ का स्थापन.
- ३४. धारा १०४ का स्थापन.
- ३५. धारा १०५ का स्थापन.
- ३६. धारा १०६ का स्थापन.
- ३७. धारा १०७ का स्थापन.
- ३८. धारा १०८ का स्थापन.

- ३९. धारा १०९ का स्थापन.
- ४०. धारा ११० का स्थापन.
- ४१. धारा ११२ का लोप.
- ४२. धारा ११३ का स्थापन.
- ४३. धारा ११४ का स्थापन.
- ४४. धारा ११४-क का स्थापन.
- ४५. धारा ११५ का स्थापन.
- ४६. धारा ११६ का लोप.
- ४७. धारा ११८ का लोप.
- ४८. धारा ११९ का लोप.
- ४९. धारा १२० का संशोधन.
- ५०. धारा १२१ का लोप.
- ५१. धारा १२४ का स्थापन.
- ५२. धारा १२५ का संशोधन.
- ५३. धारा १२६ का संशोधन.
- ५४. धारा १२७ का स्थापन.
- ५५. धारा १२८ का संशोधन.
- ५६. धारा १२९ का स्थापन.
- ५७. धारा १३० का संशोधन.
- ५८. धारा १३१ का स्थापन.
- ५९. धारा १३२ का लोप.
- ६०. धारा १३३ का स्थापन.
- ६१. धारा १३६ का लोप.
- ६२. धारा १३८ का संशोधन.
- ६३. धारा १३९ का लोप.
- ६४. धारा १४० का स्थापन.
- ६५. धारा १४१ का स्थापन.
- ६६. धारा १४२ का स्थापन.
- ६७. धारा १४३ का स्थापन.
- ६८. धारा १४४ का स्थापन.
- ६९. धारा १४५ का संशोधन.
- ७०. धारा १४६ का स्थापन.
- ७१. धारा १४७ का संशोधन.
- ७२. 🐪 धारा १४९ का संशोधन.
- ७३. धारा १५० का स्थापन.
- ७४. धारा १५१ का संशोधन.
- ७५. धारा १५३ का संस्थान.
- ७६. धारा १५४-क का संशोधन.
- ७७. धारा १५५ का संशोधन.
- ७८. धारा १५८ का संशोधन.
- ७९. धारा १६१ का संशोधन.

- ८०. धारा १६२ का लोप.
- ८१. धारा १६३ का लोप.
- ८२. धार १६५ का संशोधन.
- ८३. धारा १६८ का स्थापन.
- ८४. धारा १६९ का लोप.
- ८५. धारा १७१ का लोप.
- ८६. धारा १७२ का लोप.
- ८७. धारा १७४ का लोप.
- ८८. धारा १७६ का लोप.
- ८९. धारा १७८-क का स्थापन.
- ९०. धारा १८१-क का स्थापन.
- ९१. धारा १८२ का संशोधन.
- ९२. धारा १८३ का स्थापन.
- ९३. धारा १८४ का लोप.
- ९४. अध्याय चौदह का लोप तथा व्यावृत्ति.
- ९५. धारा २०३ का स्थापन.
- ९६. धारा २१० का संशोधन.
- ९७. धारा २२४ का संशोधन.
- ९८. धारा २२५ का लोप.
- ९९. धारा २२७ का संशोधन.
- १००. धारा २२९ का संशोधन.
- १०१. धारा २३० का संशोधन.
- १०२. धारा २३१ का स्थापन.
- १०३. धारा २३२ का लोप.
- १०४. धारा २३३ का स्थापन.
- १०५. धारा २३३-क का अन्त: स्थापन.
- १०६. धारा २३४ का स्थापन.
- १०७. धारा २३९ का संशोधन.
- १०८. धारा २४० का संशोधन.
- १०९. धारा २४३ का संशोधन.
- ११०. धारा २४४ का स्थापन.
- १११. धारा २४५ का स्थापन.
- ११२. धारा २४६ का संशोधन.
- ११३. धारा २४८ का संशोधन.
- ११४. धारा २५० का स्थापन.
- ११५. धारा २५०-क का लोप.
- ११६. धारा २५२ का लोप.
- ११७. धारा २५३ का संशोधन.
- ११८. धारा २५४ का लोप.
- ११९. धारा २५५ का लोप.
- १२०. धारा २५७ का संशोधन.
- १२१. धारा २५८ का संशोधन.
- १२२. अनुसूची एक का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८

[दिनांक २३ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २७ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

संक्षिप्त नाम तथा पारम्भ

- (२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.
- २. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल धारा २ का संशोधन अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ की उप-धारा (१) में,—
 - (एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 - ''(क) ''आबादी'' से अभिप्रेत हैं, किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर, आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य सजातीय रूप भेद, जैसे 'ग्राम स्थल' या 'गांव स्थान' का अर्थ भी तद्नुसार लगाया जाएगा;'';
 - (दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(च-१) ''विकास योजना'' का वही अर्थ होगा, जो कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में उसके लिए दिया गया है;'';
 - (तीन) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(झ) ''खाता'' से अभिप्रेत है, ऐसा भू-खण्ड जिस पर भू-राजस्व पृथक् रूप से निर्धारित किया गया है और जो एक ही भू-धृति के अधीन धारित है;'';
 - (चार) खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(ड-१) ''भू-राजस्व'' से अभिप्रेत है, धारित भूमि के लिए, राज्य सरकार को देय समस्त धन और इसमें सम्मिलित हैं प्रीमियम, लगान, पट्टाधन, प्रमुक्ति भाटक या इन अभिव्यक्तियों के कोई अन्य सजातीय रूप;'';
 - (पांच) खण्ड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 - ''(थ) ''भू-खण्ड संख्याक'' से अभिप्रेत है, इस संहिता के अधीन भू-खण्ड संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के किसी प्रभाग को समनुदेशित संख्यांक;'';
 - (छह) खण्ड (न) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द ''धारा १८८ के उपबंधों के अनुसार, मौरूसी कृषक द्वारा अपने भूमिस्वामी को, या'' लोप किया जाए;
 - (सात) खण्ड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(फ-१)''सेक्टर'' से अभिप्रेत है, नगरीय क्षेत्र में भूमि का कोई भू-भाग जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन सेक्टर के रूप में विरचित या मान्य किया गया है;

- (फ-२) ''सेवा भूमि'' से अभिप्रेत है, नगरेतर क्षेत्र में की ऐसी भूमि जो किसी कोटवार को उसकी पदाविध के दौरान कृषि प्रयोजन के लिए दी गयी हो ;'';
- (आठ) खण्ड (भ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - "(भ) "सर्वेक्षण संख्यांक" से अभिप्रेत है, इस संहिता के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के ऐसे प्रभाग को दिया गया संख्यांक और जिसकी प्रविष्टि भू-अभिलेखों में, खसरा क्रमांक नामक सूचक संख्यांक के अधीन की गयी है:":
- (नौ) खण्ड (म) का लोप किया जाए;
- (दस) खण्ड (य-३) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(य-३) ''दखलरिहत भूमि'' से अभिप्रेत है, ऐसी भूमि जो आबादी या सेवाभूमि से या किसी भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है;'';
- (ग्यारह) खण्ड (य-५) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(य-५) ''ग्राम'' से अभिप्रेत हैं, नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा भू-भाग जिसे संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था तथा नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा अन्य भू-भाग जिसे किसी भू-सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्य किया गया या जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में घोषित करे.''.

धारा ४ का संशोधन

- ३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, मण्डल का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी बैठक करेंगे जैसा कि राज्य सरकार, मंडल के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचित करे.''.

धारा ७ का संशोधन

- ४. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''७. मण्डल की अधिकारिता-मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई हैं अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी अधिनियमिति के अधीन अथवा उसके द्वारा उसे प्रदत्त किए गए हों या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे.

धारा ११ का स्थापन

- ५. मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:--
 - ''**११. राजस्व अधिकारी.**—राजस्व अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्:—

प्रमुख राजस्व आयुक्त; आयुक्त; अपर आयुक्त; आयुक्त भू-अभिलेख; अपर आयुक्त भू-अभिलेख कलेक्टर; अपर कलेक्टर; जिला सर्वेक्षण अधिकारी; उप-खण्ड अधिकारी; उप-सर्वेक्षण अधिकारी; सहायक कलेक्टर; डिप्टी कलेक्टर; तहसीलदार; अपर तहसीलदार; सहायक सर्वेक्षण अधिकारी; भू-अभिलेख अधीक्षक; नायब तहसीलदार; सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक.''.

६. मूल अधिनियम की धारा १३ में,—

धारा १३ का संशोधन

- (एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(२) राज्य सरकार, किसी भी जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नवीन जिले या उपखण्ड या तहसील का सृजन कर सकेगी या विद्यमान जिलों या उपखण्डों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार, ऐसी प्रस्थापनाओं के लिए, विहित प्ररूप में आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्राप्त की गई आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी.'';

- (दो) उपधारा (३) का लोप किया जाए.
- ७. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १३-क का अन्तःस्थापन

- "१३-क. प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियां एवं कर्तव्य.—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अधिरोपित किए जाएं.''.
- ८. मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १९ का स्थापन.

- ''१९. तहसीलदार, अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की नियुक्ति.—
- (१) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को, जितने कि वह ठीक समझे—
 - (क) तहसीलदार:
 - (ख) अपर तहसीलदार ; तथा
 - (ग) नायब तहसीलदार;

नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गए हैं.

(२) कलेक्टर, किसी तहसीलदार को तहसील का भारसाधक बना सकेगा जो ऐसी शिक्तयों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गयी हों, तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अधिरोपित किए गये हैं.

(३) कलेक्टर, किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो उसमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये गये हैं जैसा कि कलेक्टर, लिखित आदेश द्वारा निदेशित करे.''.

धारा २१ का लोप.

९. मूल अधिनियम की धारा २१ का लोप किया जाए.

धारा २२ का स्थापन.

- १०. मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--
 - "२२. उपखण्ड अधिकारी.—कलेक्टर, किसी सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखण्डों का भार-साधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं.".

धारा २४ का स्थापन.

- ११. मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
 - ''२४. राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त की जाना.—राज्य सरकार वे शक्तियां, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन किसी राजस्व अधिकारी को प्रदत्त की गई हैं, किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त कर सकेगी :

परन्तु—

- (क) धारा ७२, ११३, १३५, १६५, २३७, २३८, २४३ एवं २५१ के अधीन कलेक्टर की शक्तियाँ;
- (ख) धारा ५९, ११५, १७०, १७०क, १७०ख, २३४, २४१, २४२, २४८(२-क) एवं २५३ के अधीन उपखण्ड अधिकारी की शक्तियाँ;
- (ग) धारा ४४ के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियाँ, तथा
- (घ) धारा ५० के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियाँ;

किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त नहीं की जाएंगी.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये ''लोक सेवक'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार में या किसी शासी निकाय में या राज्य सरकार द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्था में पद धारण करता हो.''.

धारा २७ का १२. मूल अधिनियम की धारा २७ में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, संशोधन. अर्थात् :—

> ''परंतु उपखण्ड अधिकारी किसी मामले की जांच या सुनवाई जिले के भीतर किसी भी स्थान पर कर सकेगा.''.

१३. मूल अधिनियम की धारा २८ में, शब्द ''समस्त राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, भू-मापक तथा पटवारी'' के स्थान पर, शब्द ''किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक तथा पटवारी'' स्थापित किए जाएं.

धारा २८ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा २९ का स्थापन.

- ''२९. मामलों को अंतरित करने की शक्ति.—(१) जब कभी यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आदेश देना समीचीन है, तो मण्डल निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए.
- (२) आयुक्त, यदि उसकी राय हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह समीचीन है, तो यह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले के या उसी संभाग के किसी अन्य जिले के समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए.''.

१५. मूल अधिनियम की धारा ३५ में,-

धारा ३५ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (१) का लोप किया जाए;
- (दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--
 - ''(३) वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध उपधारा (२) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से या उस दशा में जब कि सूचना या समन की सम्यक् रूप से तामील न की गई हो, उस आदेश के जानकारी में आने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे अपास्त कराने के लिये आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि सुनवाई में उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था और राजस्व अधिकारी, उस विरोधी पक्षकार को, जो उस तारीख को उपस्थित था जिसको कि ऐसा आदेश पारित किया गया था, सूचना देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, पारित किए गए आदेश को अपास्त कर सकेगा.''.

१६. मूल अधिनियम की धारा ४१ का लोप किया जाए.

धारा ४१ का लोप.

१७. मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा ४४ का स्थापन.

- "४४. अपील तथा अपील प्राधिकारी.—(१) उस स्थिति को छोड़कर जहाँ कि अन्यथा उपबंधित किया गया है, इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिये सक्षम किसी राजस्व अधिकारी के प्रत्येक मूल आदेश की अपील—
 - (क) यदि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है,—उपखण्ड अधिकारी को होगी;
 - (ख) यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने पारित किया है—उप सर्वेक्षण अधिकारी को होगी:
 - (ग) यदि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी ने पारित किया है—कलेक्टर को होगी;

- (घ) यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी ने पारित किया है.—जिला सर्वेक्षण अधिकारी को होगी;
- (ङ) यदि ऐसा आदेश किसी सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है, जिसे इस संहिता की धारा २४ के अधीन शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं.—कलेक्टर को होगी;
- (च) यदि ऐसा आदेश किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसके कि संबंध में धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन निदेश दिया गया हो—ऐसे राजस्व अधिकारी को होगी जिसके कि बारे में राज्य सरकार निदेश दे:
- (छ) यदि ऐसा आदेश कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी ने पारित किया है—आयुक्त को होगी;
- (ज) यदि ऐसा आदेश आयुक्त ने पारित किया है—मण्डल को होगी.
- (२) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रथम अपील में.—
 - (क) उपखण्ड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किए गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त को होगी;
 - (ख) आयुक्त द्वारा पारित किए गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील मण्डल को होगी.
- (३) द्वितीय अपील.-
 - (क) यदि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्च के मामले में के अतिरिक्त अन्य मामले में फेरफारित किया गया हो या उलट दिया गया हो; या
 - (ख) निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर होगी, न कि किसी अन्य आधार पर, अर्थात् :—
 - (एक) यह कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है; या
 - (दो) यह कि आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवाद्यक का अवधारण नहीं हो सका हो; या
 - (तीन) यह कि इस संहिता द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गणागण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हुई हो.
- (४) पुनर्विलोकन में, किसी आदेश में फेरफार करते हुए या उसको उलटते हुए, पारित किया गया कोई आदेश उसी रीति में अपीलनीय होगा जिस रीति में कि मूल आदेश अपीलनीय होता है.''.

धारा ४५ का लोप.

१८. मूल अधिनियम की धारा ४५ का लोप किया जाए.

धारा ४६ का स्थापन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ४६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

''**४६. कतिपय आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी.**—धारा ४४ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

- (क) किसी भी ऐसे आदेश की.—
 - (एक) जिसके द्वारा किसी आवेदन को परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६) की धारा ५ में विनिर्दिष्ट आधारों पर विलम्ब के विचारण के लिये मंजूर या नामंजूर किया गया है; या
 - (दो) पुनर्विलोकन के लिये किए गए किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है; या
 - (तीन) आवेदन को, जो रोक (स्टे) के लिये मंजूर या नामंजूर किया गया है; या
 - (चार) जो अंतरिम स्वरूप का है; या
 - (पांच) जो धारा २९, ३०, १०४, १०६, ११४-क, १२७, १४६, १४७, १५०, १५२, १६१, २०७, २०८, २१०, २१२, २१३, २१५, २२० तथा २४३ के उपबंधों के अधीन पारित किया गया है.

कोई अपील नहीं होगी; और

(ख) धारा १३१ की उपधारा (१), धारा १३४, धारा १७३, धारा २३४, धारा २३९, धारा २४०, धारा २४१, धारा २४२, धारा २४४ तथा धारा २४८ के उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी.''.

२०. मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा ४७ का स्थापन.

''**४७. अपीलों की परिसीमा.**—प्रथम तथा द्वितीय अपील फाइल करने के लिए परिसीमा अविध, अपील के लिए आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन होगी :

परन्तु जहां कोई आदेश, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, वहाँ अपील करने की परिसीमा की अविध, उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व, संहिता में यथा उपबंधित अनुसार होगी :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके कि विरुद्ध आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित किया गया था, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहां परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से की जाएगी.''.

२१. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (३) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा ४९ का संशोधन.

''परन्तु अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को मामले को निपटाने के लिये साधारणतया प्रतिप्रेषित नहीं करेगा.''. धारा ५० का स्थापन.

- २२. मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
 - ''५०. पुनरीक्षण.—(१) उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए,—
 - (क) मण्डल, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों का, जिसमें आयुक्त द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो, अभिलेख मंगा सकेगा;
 - (ख) आयुक्त, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिसमें कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो, अभिलेख मंगा सकेगा;
 - (ग) कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, िकसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो िक विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिनमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया गया हो, अभिलेख मंगा सकेगा;

और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने,—

- (एक) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कि इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो; या
- (दो) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा हो; या
- (तीन) अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण प्रयोग किया है या सारवान अनियमितता की है;
- तो मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.
- (२) पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन,—
 - (क) इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरुद्ध;
 - (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध;
 - (ग) पुनरीक्षण में पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध;
 - (घ) धारा २१० के अधीन आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध;

(ङ) जब तक कि आदेश की तारीख से या पक्षकार को इसकी संसूचना की तारीख से पैंतालीस दिन,जो भी पश्चात् का हो, के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो,

ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परन्तु जहां किसी आदेश, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, पुनरीक्षण के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के लिये परिसीमा अविध उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में उपबंधित किए गए अनुसार होगी.

- (३) मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चिय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि,—
 - (क) ऐसा आदेश, यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, तो कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा करता हो; या
 - (ख) ऐसा आदेश, यदि प्रवृत्त बना रहता है तो न्याय की विफलता का कारण बनेगा या उस पक्षकार को, जिसके कि विरुद्ध यह किया गया था अपूरणीय क्षति कारित करेगा.
- (४) पुनरीक्षण का प्रभाव राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को स्थिगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय जहां कि ऐसी कार्यवाही यथास्थिति, मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा स्थिगत की गई हो.
- (५) किसी भी ऐसे आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकार पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये समस्त राजस्व अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ समझे जाएंगे.''.

२३. मूल अधिनियम की धारा ५१ में, उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

धारा ५१ का संशोधन

''(१) मण्डल या कोई राजस्व अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वीधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

- (एक) यदि आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो कि उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है, तो वह पहले मण्डल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा, और यदि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन करने की प्रस्थापना करता है तो वह पहले कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी की, ठीक जिसके कि वह अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा;
- (दो) किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाऐगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश के समर्थन में उन्हें सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो;
- (तीन) किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी कि अपील की गई है या जो किन्हीं पुनरीक्षण की कार्यवाहियों का विषय है, उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियां लंबित रहती हैं;
- (चार) किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन, जो निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किये जाने के पैंतालीस दिन के भीतर न किया गया हो.
- (२) किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन निम्नलिखित आधारों के सिवाय नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—
 - (क) नए तथा महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य के पता चलने पर जो आवेदक की जानकारी में उसके सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् भी नहीं था या उसके द्वारा उस समय जब आदेश पारित किया गया था, प्रस्तुत नहीं किया जा सका;
 - (ख) कोई भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो; या
 - (ग) कोई अन्य समुचित कारण.".

धारा ५४ का स्थापन.

२४. मूल अधिनियम की धारा ५४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

- ''**५४. पुनरीक्षण का लंबित रहना.**—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी कार्यवाहियां जो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित हों,—
 - (क) यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हों, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जाएगी तथा विनिश्चित की जाएगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, तो ऐसे सक्षम राजस्व अधिकारी को अंतरित की जाएगी;
 - (ख) यदि वे मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की गई हों तो यथास्थिति, मण्डल या ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी तथा विनिश्चित की जाएंगी मानो कि यह संशोधन अधिनियम पारित नहीं किया गया हो;
 - यदि वे बंदोबस्त आयुक्त द्वारा शुरु की गई हों तो संबंधित संभाग के आयुक्त को अंतरित की जाएंगी, जो उन्हें सुनेगा और विनिश्चित करेगा;
 - (घ) यदि वे बंदोबस्त अधिकारी द्वारा शुरू की गई हों तो यथास्थिति, जिला सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर को अंतरित की जाएंगी, जो उन्हें सुनेगा और विनिश्चित करेगा.''.

२५. मूल अधिनियम की धारा ५५ का लोप किया जाए.

धारा ५५ का लोप.

२६. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, शब्द ''यथास्थिति इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अपनी शिक्तयों का प्रयोग करते हुए'' के स्थान पर, शब्द ''इस संहिता के अधीन अपनी शिक्तयों का प्रयोग करते हुए'' स्थापित किए जाएं.

धारा ५६ का संशोधन

२७. मूल अधिनियम की धारा ५७ की उपधारा (२) का लोप किया जाए.

धारा ५७ का संशोधन.

२८. मूल अधिनियम की धारा ५८ में,—

धारा ५८ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--
 - ''(१) समस्त भूमि, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाती हो और चाहे वह कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए दायित्वाधीन है सिवाय ऐसी भूमि के जिसे इस संहिता द्वारा या इसके अधीन या राज्य सरकार के विशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गई संविदा द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, इस बाबत् जारी अधिसूचना द्वारा, ऐसे दायित्व से पूर्णत: या भागत: छूट दी गई है.''.
- (दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए.

२९. मूल अधिनियम की धारा ५८-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ५८-क का स्थापन

५८-क. भू-राजस्व के भुगतान से छूट.—इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

- (क) अनन्यरूपेण कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये गये दो हेक्टेयर तक किसी खाते;
- (ख) गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी गयी ऐसी अन्य भूमि जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

के संबंध में, कोई भी भू-राजस्व देय नहीं होगा.''.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए 'खाते' से अभिप्रेत है संपूर्ण राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिश: धारित समस्त भूमि और संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित भूमियों में उसका हिस्सा, यदि कोई हो, का योग.''.

३०. मूल अधिनियम की धारा ५८-ख का लोप किया जाए.

धारा ५८-ख का लोप.

३१. मूल अधिनियम की धारा ५९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ५९ का स्थापन.

- ''५९. जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लायी जा रही है, के अनुसार भू-राजस्व—(१) भूमि के निम्नलिखित उपयोग के संबंध में भू-राजस्व का निर्धारण ऐसी दरों पर किया जाएगा जैसी कि विहित की जाएं :—
- (क) कृषि के प्रयोजन के लिए, जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है;
- (ख) निवास गृहों के प्रयोजन के लिए;
- (ग) शैक्षणिक प्रयोजन के लिए;
- (घ) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए;
- (ङ) औद्योगिक प्रयोजन के लिए, जिसमें खान तथा खनिज भी सम्मिलित हैं;
- (च) उपरोक्त मद (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन से भिन्न ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.

- (२) जहां कोई भूमि जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाने हेतु निर्धारण किया गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाए, वहां ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व, इस बात के होते हुए भी कि उस अविध का, जिसके लिए कि निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नहीं हुआ है, उस प्रयोजन के लिए विहित दर पर निर्धारण किये जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके कि लिए वह व्यपवर्तित कर दी गयी है.
- (३) जहां कोई भूमि जो किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने की शर्त पर भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त रूप से धारित है किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाती है, वहां वह भूमि भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हो जाएगी और उस पर उस प्रयोजन के लिए विहित दर पर निर्धारण किया जाएगा जिसके कि लिए वह व्यपवर्तित की गयी है.
- (४) जहां किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाली भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाती है और उस पर भू-राजस्व का निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अधीन किया जाता है वहां ऐसे व्यपवर्तन पर प्रीमियम ऐसी दर पर संदेय होगा जो कि विहित की जाए.
- (५) जब कभी भूमि का निर्धारण एक प्रयोजन के लिए किया गया है और उसे अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित किया जाता है, तो भूमिस्वामी प्रीमियम की गणना करेगा तथा देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और इस प्रकार गणना की गई रकम विहित रीति में जमा करेगा.
- (६) भूमिस्वामी ऐसे व्यपवर्तन की उपखण्ड अधिकारी को उपधारा (५) के अधीन रकम जमा करने की पावती के साथ लिखित प्रज्ञापना करेगा और ऐसी प्रज्ञापना की तारीख से भूमि व्यपवर्तित मानी जाएगी.
- (७) उपधारा (६) के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी यथाशक्य शीघ्र भूमिस्वामी द्वारा की गई गणना की शुद्धता की जांच करेगा तथा भूमिस्वामी को या तो उपधारा (५) के अधीन गणना की पृष्टि करने की या देय प्रीमियम तथा भू-राजस्व की सही रकम की संसूचना देगा. उपधारा (५) के अधीन जमा की गई रकम के, उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई गणना की रकम से कम होने की दशा में अंतर की राशि भूमिस्वामी द्वारा ऐसी प्रज्ञापना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर संदत्त की जाएगी:
 - परन्तु उपधारा (५) के अधीन जमा की गई रकम उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई गणना से अधिक होने की दशा में अंतर की राशि साठ दिन के भीतर भूमिस्वामी को वापस की जाएगी.
- (८) यदि उपखण्ड अधिकारी उपधारा (६) के अधीन प्राप्त प्रज्ञापना की तारीख से पांच वर्ष के भीतर उपधारा (७) के अधीन भूमिस्वामी को संसूचित करने में असफल रहता है तो, पुनर्निधीरित भू-राजस्व की बकाया पांच वर्ष से अधिक किसी अविध के लिये देय नहीं होगी.
- (९) यदि भूमिस्वामी उपधारा (६) के अधीन विहित अविध के भीतर व्यपवर्तन की प्रज्ञापना देने में असफल रहता है तो उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यपवर्तन के मद्दे देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और देय कुल रकम के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा:
 - परन्तु पुनर्निधारित भू-राजस्व अधिकतम पांच वर्ष की अविध के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे व्यपवर्तन की तारीख से देय होगा:
 - परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी.
- (१०) भूमिस्वामी केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही भूमि व्यपवर्तित करेगा जैसा कि तत्समय प्रवृत्त भूमि के उपयोग को विनियमित करने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है:
 - परन्तु इस धारा के अधीन भूमिस्वामी या उपखण्ड अधिकारी की कोई कार्रवाई लागू विधि के उपबंधों के प्रतिकुल भूमि के उपयोग के परिवर्तन हेतु अनुज्ञा देने वाली नहीं समझी जाएगी:

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन की गई किसी दण्डात्मक कार्रवाई का विचार किए बिना तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के प्रतिकूल ऐसे व्यपवर्तन के लिए भूमिस्वामी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा.

- (११) प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की गणना, यथास्थिति, उपधारा (६) के अधीन भूमिस्वामी द्वारा प्रज्ञापना की तारीख या उपधारा (९) के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने की तारीख को प्रचलित दरों पर की जाएगी.
- (१२) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के पूर्व मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित इस धारा के अधीन की समस्त कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी तथा उपखण्ड अधिकारी इस धारा के उपबंधों के अनुसार व्यपवर्तन के मद्दे प्रीमियम अधिरोपित करेगा और भू-राजस्व का निर्धारण करेगा.''.
- ३२. मूल अधिनियम की धारा ६० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा ६० का स्थापन.

''६०. भूमि जिस पर निर्धारण नहीं किया गया है, का निर्धारण

उन समस्त भूमियों पर जिन पर निर्धारण नहीं किया गया है, भूमि का निर्धारण इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कलेक्टर द्वारा किया जाएगा.''.

३३. मूल अधिनियम की धारा ६१ से १०३ (दोनों सिम्मिलित हैं) को अंतर्विष्ट करने वाले अध्याय–सात तथा अध्याय–आठ के स्थान पर, निम्निलिखत अध्याय स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

अध्याय सात तथा अध्याय आठ का स्थापन.

''अध्याय-सात

भू-सर्वेक्षण

- ६१. भू-सर्वेक्षण की परिभाषा ''भू-सर्वेक्षण'' से अभिप्रेत है-
 - (क) समस्त या निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप—
 - (एक) भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना या कृषि प्रयोजनों तथा उनसे आनुषांगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित करना;
 - (दो) भूमि का भूखण्ड संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान भूखण्ड संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना तथा गैर कृषि प्रयोजनों तथा उनके आनुषांगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भूमि में नये भू-खण्ड संख्यांक विरचित करना तथा उन्हें ब्लाक में समूहीकृत करना;
 - (तीन) नगरेत्तर क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लाक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना तथा उनके आनुषांगिक क्रियाकलाप;
 - (ख) यथास्थिति, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भूखण्ड संख्यांक का क्षेत्रफल, वर्तमान भूमि
 उपयोग तथा अन्य विशेषताओं का वर्णन करने वाली क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड बुक) तैयार करना;
 - (ग) यथास्थिति, खेत का नक्शा तैयार करना या उसका पुनरीक्षण करना या उसमें सुधार करना;
 - (घ) किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने के उद्देश्य से अधिकार अभिलेख तैयार करना;
 - (ङ) कोई अन्य अभिलेख तैयार करना जैसा कि विहित किया जाए.

- ६२. **आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति.**—राज्य सरकार, आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देश के अध्यधीन रहते हुए, भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेखों का प्रबंध करेगा.
- ६३. अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्यः—(१) राज्य सरकार एक या उससे अधिक अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी.
- (२) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख ऐसे मामलों में या मामले के ऐसे वर्ग में, जैसा कि राज्य सरकार या आयुक्त, भू-अभिलेख निदेशित करे, ऐसी शिक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किए गए हैं और अपर आयुक्त, भू-अभिलेख के संबंध में जब कि वह ऐसी शिक्तियों का प्रयोग कर रहा हो तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, यह समझा जाएगा कि वह इस संहिता या बनाए गए किसी नियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त, भू-अभिलेख नियुक्त किया गया है.
- ६४. **प्रस्थापित भू-सर्वेक्षण की अधिसूचना.**—(१) आयुक्त, भू-अभिलेख किसी तहसील क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण, राजपत्र में उस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करके प्रारंभ कर सकेगा.
- (२) भू–सर्वेक्षण तहसील क्षेत्र में की समस्त भूमियों पर या उसके केवल ऐसे भाग पर हो सकेगा जैसा कि आयुक्त, भू–अभिलेख उपधारा (१) के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट करे.
- (३) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित भूमियां, उक्त अधिसूचना की तारीख से तब तक भू-सर्वेक्षण के अधीन धारित समझी जाएंगी जब तक कि ऐसे भू-सर्वेक्षण को बंद किए जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाए.
- ६५. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी.—(१) ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू-सर्वेक्षण के अधीन हैं,—
 - (क) जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा;
 - (ख) उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी उसके उपखण्ड के लिए उप सर्वेक्षण अधिकारी होगा,
 - तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे.
 - (२) समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी आयुक्त, भू-अभिलेख के अधीनस्थ होंगे.
- (३) जिले में के समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे.
 - (४) उपखण्ड में के समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे.
- ६६. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शिक्तयां.—(१) ऐसी भूमियों के संबंध में, जो कि भू-सर्वेक्षण के अधीन हैं इस संहिता के अधीन कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार की शक्तियां क्रमश: जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित होंगी.
- (२) राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों को उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित कर सकेगी.

- ६७. सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक, भू-खण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना.—इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी—
 - (क) उस भूमि का, जिस पर भू-सर्वेक्षण किया जाना है, मापन कराएगा तथा उस पर ऐसी संख्या में सर्वेक्षण चिन्हों को संनिर्मित कर सकेगा जितनी कि आवश्यक हों;
 - (ख) ऐसी भूमि को सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित कर सकेगा;
 - (ग) ऐसी भूमि को ब्लाक संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान ब्लाक संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, ब्लाक संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नवीन ब्लाक संख्यांक विरचित कर सकेगा;
 - (घ) ब्लाक को भू-खण्ड संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान भू-खण्ड संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, भू-खण्ड संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भूमि में नवीन भू-खण्ड संख्यांक विरचित कर सकेगा;
 - (ङ) नगरेतर क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लाक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर के रूप में समूहीकृत कर सकेगा:

परन्तु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आने वाली किसी भूमि के भू-खण्ड इस संहिता के अधीन भू-खण्ड समझे जाएंगे:

परन्तु यह और कि यहां इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित के सिवाय और क्षेत्र की अनुमोदित विकास योजना, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, भविष्य में न्यूनतम विहित सीमा से कम का कोई सर्वेक्षण क्रमांक या भू-खण्ड क्रमांक निर्मित नहीं किया जाएगा.

- ६८. सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भूखण्ड संख्यांक को पुनर्क्रमांकित करने या उपविभाजित या समामेलित करने की शक्ति.—(१) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, सर्वेक्षण संख्यांकों को या तो पुनर्क्रमांकित कर सकेगा या उन्हें उतने उपखण्डों में उपविभाजित कर सकेगा जितने कि अपेक्षित हों या भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से एक या एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांकों को एकल सर्वेक्षण संख्यांक में समामेलित कर सकेगा.
- (२) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, ब्लाक संख्यांकों को तथा भू-खण्ड संख्यांकों को या तो पुनर्क्रमांकित या उन्हें इतने उपखण्डों में उप विभाजित कर सकेगा जितने कि अपेक्षित हों या भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से एक या एक से अधिक ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों को एकल ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक में समामेलित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का विभाजन या समामेलन नहीं होगा जहां कि ऐसा ब्लाक या भू-खण्ड या उसका कोई भाग मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आता हो.

(३) किसी सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का विभाजन या समामेलन तथा उनका निर्धारण इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

- (४) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, एक या एक से अधिक भू-खण्ड संख्यांकों को किसी ब्लाक से निकालकर या एक या एक से अधिक भू-खण्ड संख्यांकों को उससे लगे हुए ब्लाक में जोड़कर किसी ब्लाक को परिवर्तित कर सकेगा.
- (५) जहां कोई खाता कई सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों से मिलकर बना हो वहां जिला सर्वेक्षण अधिकारी, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक के लिए देय भू-राजस्व का निर्धारण करेगा.
- (६) जब कभी सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित किया जाए तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस संहिता के अधीन तैयार किए गए या संधारित किए गए समस्त अभिलेखों में प्रविष्टियों की शुद्धि करेगा.
- ६९. भू-अभिलेख में सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों तथा उनके उप खण्डों की प्रविष्टि.—सर्वेक्षण संख्यांकों और भू-खण्ड संख्यांकों तथा उनके उप खण्डों के क्षेत्रफल तथा उनका निर्धारण और ब्लॉक संख्यांकों के क्षेत्रफल की प्रविष्टि भू-अभिलेख में ऐसी रीति में की जाएगी जैसी कि विहित की जाए.
- ७०. ग्राम की आबादी का अवधारण.—जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक बसे हुए ग्राम की दशा में भूमियों में के अधिकारों का सम्यक् ध्यान रखते हुए, निवासियों के निवास के लिए या उससे आनुषांगिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित किए जाने वाला क्षेत्रफल अभिनिश्चित करेगा तथा अवधारित करेगा और ऐसे क्षेत्रफल को ग्राम की आबादी समझा जाएगा.
- ७१. ग्रामों और सेक्टर को विभाजित या सम्मिलित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शिक्त.—(१) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दो या अधिक ग्रामों का गठन करने के लिए किसी ग्राम को विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक ग्रामों को सिम्मिलित कर एक ग्राम गठित कर सकेगा या किसी ग्राम की सीमाओं को, उसमें किसी ऐसे ग्राम के, जो उसके सामीप्य में हो, किसी क्षेत्र को सिम्मिलित करके अथवा उसमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उसमें से अपविर्जत करके, परिवर्तित कर सकेगा.
- (२) जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दो या दो से अधिक सेक्टर का गठन करने के लिए किसी सेक्टर को विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक सेक्टरों को एक सेक्टर गठित करने के प्रयोजन से सम्मिलित कर सकेगा या किसी सेक्टर की सीमाओं को, उसमें किसी ऐसे सेक्टर के, जो कि उसके सामीप्य में हों, किसी क्षेत्र को सिम्मिलित करके अथवा उसमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उसमें से अपवर्जित करके परिवर्तित कर सकेगा.
- ७२. निर्धारण.—जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक खाते पर, ऐसी दरों पर, जैसी विहित की जाएं, निर्धारण नियत करेगा.
- ७३. समस्त भूमियां निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी.—जिला सर्वेक्षण अधिकारी ऐसी समस्त भूमियों पर, जिन पर सर्वेक्षण विस्तारित होता है, निर्धारण करेगा, चाहे ऐसी भूमियां भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हों या न हों.
- ७४. नक्शे तथा अभिलेख रखने का जिला सर्वेक्षण अधिकारी का कर्तव्य.—जब कोई क्षेत्र भूमि सर्वेक्षण के अधीन हो, तो, ऐसे क्षेत्र के नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य, कलेक्टर के पास से जिला सर्वेक्षण अधिकारी को अंतरित हो जायेगा जो इसके बाद अध्याय-नौ से अठारह के किन्हीं उपबंधों के अधीन कलेक्टर, को प्रदत्त की गई समस्त शिक्तयों का प्रयोग करेगा.
- ७५. **गलितयों को ठीक करने की उपखण्ड अधिकारी की शक्ति.**—उपखण्ड अधिकारी भू-सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् किसी भी समय सर्वेक्षण में हुई गलती अथवा अंकगणितीय अशुद्ध गणना के कारण किसी सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक अथवा ब्लाक संख्यांक के क्षेत्रफल अथवा निर्धारण में हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा:

परन्तु ऐसी गलती को ठीक करने के कारण भू-राजस्व का कोई बकाया देय नहीं होगा.

७६. भू-सर्वेक्षण के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में, इस अध्याय के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा किया जाना.—ऐसे क्षेत्र में, जो भू-सर्वेक्षण के अधीन नहीं है कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इस अध्याय के अधीन उपबंधित क्रमश: जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शिक्तियों का प्रयोग करेंगे.

७७. **नियम बनाने की शक्ति.**—राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन भू-सर्वेक्षण को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.''.

३४. मूल अधिनियम की धारा १०४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १०४ का स्थापन

''१०४. नगरेतर क्षेत्र में पटवारी हल्कों की विरचना तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरों की विरचना और पटवारियों तथा नगर सर्वेक्षकों की नियुक्ति,—

- (१) आयुक्त, भू-अभिलेख, प्रत्येक तहसील के लिए ग्रामों को पटवारी हल्कों में विन्यस्त करेगा तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र को सेक्टर में विभाजित करेगा और किसी भी समय विद्यमान पटवारी हल्कों या सेक्टर की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन पटवारी हल्कों या सेक्टरों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान पटवारी हल्कों या सेक्टरों को समाप्त कर सकेगा.
- (२) कलेक्टर, शुद्ध भू-अभिलेखों को रखने के लिए तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसे कि विहित किए जाएं, प्रत्येक पटवारी हल्के में एक पटवारी तथा प्रत्येक सेक्टर में एक नगर सर्वेक्षक की नियुक्ति करेगा.
- (३) उपधारा (१) के अधीन नगरीय क्षेत्र में सेक्टर की विरचना होने तक मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व इसमें विद्यमान प्रत्येक ग्राम एक सेक्टर के रूप में समझा जाएगा तथा ऐसे ग्राम के सुसंगत भू-अभिलेख ऐसे सेक्टर के भू-अभिलेख समझे जाएंगे.''.

३५ मूल अधिनियम की धारा १०५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १०५ की स्थापन

''१०५. नगरेतर क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक वृत्तों की विरचना.—आयुक्त, भू-अभिलेख, किसी तहसील में के पटवारी हल्कों को, राजस्व निरीक्षक वृत्तों में विन्यस्त करेगा और किसी भी समय किसी वृत्त की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन वृत्तों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान को समाप्त कर सकेगा.''.

३६. मूल अधिनियम की धारा १०६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १०६ का स्थापन.

''१०६. नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति.—कलेक्टर, प्रत्येक राजस्व निरीक्षक वृत्त में, भू-अभिलेखों को तैयार किए जाने तथा संधारण, पर्यवेक्षण करने तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जैसे कि विहित किए जाएं, राजस्व निरीक्षक को नियुक्त कर सकेगा.''.

३७. मूल अधिनियम की धारा १०७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १०७ का स्थापन.

"१०७. ग्राम, आबादी, ब्लाक तथा सेक्टर के नक्शो.—(१) प्रत्येक ग्राम के लिए,—

- (क) सर्वेक्षण-संख्यांकों तथा ब्लाक संख्यांकों की सीमाओं को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि ''ग्राम का नक्शा'' कहलाएगा;
- (ख) आबादी के लिए धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जो ऐसे अधिभोग में न हो, दर्शाने वाला, पृथक् पृथक् भू-खण्ड संख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टयां देते हुए जैसी कि विहित की जाएं, एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "आबादी का नक्शा" कहलायेगा;

- (ग) व्यवर्तित की गई भूमियों के लिए, धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र, पृथक्-पृथक् भू-खण्ड संख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए जैसी कि विहित की जाएं, एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि ''ब्लाक का नक्शा'' कहलाएगा.
- (२) प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में, धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जो ऐसे अधिभोग में न हो, दर्शाने वाला पृथक्-पृथक् भू-खण्ड संख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, प्रत्येक सेक्टर के लिए एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि ''सेक्टर का नक्शा'' कहलाएगा.
- (३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन नक्शा ऐसे पैमाने (स्केल) पर तैयार किया जाएगा जो कि विहित किया जाए.''.

धारा १०८ का ३८. मूल अधिनियम की धारा १०८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

- ''१०८. **अधिकार अभिलेख**.—(१) प्रत्येक ग्राम क्षेत्र तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर के लिए अधिकार अभिलेख इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी:—
 - (क) समस्त भूमिस्वामियों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वे उपयोग किए जा रहे हों और उनके क्षेत्रफल तथा कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति, सिंहत;
 - (ख) समस्त सरकारी पर्टेदारों के नाम तथा पर्टेदारों के ऐसे वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों का तथा वह प्रयोजन जिसके लिए उनका उपयोग किया जा रहा हो तथा उनके क्षेत्रफल और कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति, सहित;
 - (ग) ग्राम की आबादी में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों या यथास्थिति नगरीय क्षेत्र में की ऐसी भूमि में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम जो कि ऐसे नगरीय क्षेत्र के गठन के पूर्व ग्राम की आबादी थी, भूमि में उनके हित की प्रकृति, उनके द्वारा धारित भू-खण्ड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि उपयोग में लायी जा रही हो, सहित;
 - (घ) राज्य सरकार द्वारा या किसी अधिनियमिति के अधीन अधिकृत व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के निदेश के अधीन किसी व्यक्ति को समनुदेशित की गई या दी गई भूमि में हित की प्रकृति तथा उसकी सीमा, निम्न सहित—
 - (एक) ऐसे व्यक्तियों के अपने-अपने हितों के प्रकार और शर्तें तथा दायित्व, यदि कोई हों;
 - (दो) ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यदि कोई हो; और
 - (तीन) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि विहित की जाएं.
- (२) उपधारा (१) में वर्णित अधिकार अभिलेख, भू-सर्वेक्षण के दौरान या जब कभी भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश दे, तैयार किया जाएगा.''.

धारा १०९ का स्थापन

- ३९. मूल अधिनियम की धारा १०९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:---
 - "१०९. अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी:—(१) कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में पूर्ण अधिकार हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर विहित प्ररूप में देगा,—

- (क) नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि की दशा में पटवारी को या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या तहसीलदार को,
- (ख) नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि की दशा में नगर सर्वेक्षक को या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या तहसीलदार को:
- परन्तु जब अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अवयस्क हो या अन्यथा निरर्हित हो, तो उसका संरक्षक या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो उसकी संपत्ति का भारसाधक हो, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति या तहसीलदार को ऐसी रिपोर्ट करेगा.
- "स्पष्टीकरण एक : ऊपर वर्णित किए गए अधिकार के अन्तर्गत कोई सुखाचार या संपत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का अधिनियम संख्यांक ४) की धारा १०० में विनिर्दिष्ट किए गए प्रकार का कोई ऐसा भार, जो कि बंधक की कोटि में नहीं आता है, नहीं है.
- स्पष्टीकरण दो : कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कि पक्ष में किसी बंधक का मोचन हो जाए या भुगतान कर दिया जाए या किसी पट्टे का पर्यवसान हो जाए, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत् अधिकार अर्जित करता है.
- स्पष्टीकरण तीन: इस धारा के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित लिखित प्रज्ञापना या तो संदेशवाहक की मार्फत दी जा सकेगी या व्यक्तिश: सौंपी जा सकेगी या रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी या ऐसी अन्य रीति में भेजी जा सकेगी जैसी कि विहित की जाए.
- स्पष्टीकरण चार: इस धारा के प्रयोजन के लिए ''अन्यथा निरर्हित'' में सम्मिलित है निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, २०१६ (२०१६ का ४९) की धारा २ के खण्ड (५) में यथा परिभाषित निःशक्तजन हैं.
- (२) जब कोई ऐसा दस्तावेज जिसके कि द्वारा ऐसी भूमि, जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाती है या जिसके संबंध में एक खसरा तैयार किया गया है, कोई हक या उस पर कोई भार मृजित किया जाना, समनुदेशित किया जाना या निर्वापित किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) के अधीन रिजस्ट्रकृत की जाती है तो रिजस्ट्रीकरण अधिकारी, उस क्षेत्र पर, जिसमें भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्ररुप में तथा ऐसे समय पर, जैसी कि विहित किया जाए, प्रज्ञापना भेजेगा.
- (३) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अधिकारों, हित या दायित्वों का इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख या रिजस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या जो उसमें प्रविष्ट किये जा चुके हों किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक या पटवारी की, जो अभिलेख या रिजस्टर का संकलन करने या उसको संशोधित करने में लगा हो, लिखित अध्यपेक्षा पर इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह उस अभिलेख या रिजस्टर के सही संकलन या संशोधन के लिए आवश्यक समस्त ऐसी जानकारी या दस्तावेज, जो उसकी जानकारी में या उसके कब्जे या अधिकार में हो, ऐसी अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से एक मास के भीतर, उसके निरीक्षण के लिए दे या पेश करे. प्रस्तुत की गयी जानकारी या पेश किए गए दस्तावेज की लिखित अभिस्वीकृति व्यक्ति को दी जाएगी.
- (४) कोई भी व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट की गयी कालाविध के भीतर उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित की गयी रिपोर्ट करने में या उपधारा (३) द्वारा अपेक्षित की गयी जानकारी देने में या दस्तावेज पेश करने की उपेक्षा करेगा तो वह तहसीलदार के स्वविवेक पर पांच हजार रुपये से अनिधक की शास्ति का दायी होगा.
- (५) इस धारा के अधीन किसी अधिकार अर्जन से संबंधित किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में, जो विनिर्दिष्ट की गयी कालाविध के पश्चात्, प्राप्त हुई हो, धारा ११० के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएंगी.''.

धारा ११० का स्थापन.

- ४०. मूल अधिनियम की धारा ११० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - "१९०. भू-अभिलेखों में अधिकार—अर्जन बाबत् नामांतरण.—(१) पटवारी या धारा १०९ के अधीन नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन के, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा १०९ के अधीन की गयी हो या जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आये, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिए विहित किया गया है.
 - (२) यथास्थिति, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार—अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्ट जो कि उपधारा (१) के अधीन उसे प्राप्त हुई हों, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में जो कि विहित किया जाए, उसके द्वारा उसे प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा.
 - (३) धारा १०९ के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर या किसी अन्य स्रोत से ऐसे अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार पंद्रह दिन के भीतर,—
 - (क) अपने न्यायालय में मामला पंजीकृत करेगा;
 - (ख) हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को, जो कि विहित किए जाएं, ऐसे प्ररूप में तथा विहित रीति में नोटिस जारी करेगा; और
 - (ग) अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रस्तावित नामांतरण से संबंधित नोटिस चस्पा करेगा तथा उसे संबंधित ग्राम या सेक्टर में विहित रीति में प्रकाशित करेगा;
 - (४) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, तथा ऐसी और जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, नामांतरण से संबंधित आदेश मामला पंजीकृत होने की तारीख से अविवादित मामले की दशा में तीस दिवस में एवं विवादित मामले की दशा में पांच मास में पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे या सेक्टर के खसरे में तथा ऐसे अन्य भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविध्ट करेगा.
 - (५) तहसीलदार उपधारा (४) के अधीन पारित किये गये आदेश तथा अद्यतन भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रति विहित रीति में तीस दिन के भीतर पक्षकारों नि:शुल्क प्रदाय करेगा और उसके पश्चात् मामले को बंद करेगा:
 - परन्तु यदि अपेक्षित प्रतियां विनिर्दिष्ट कलाविध के भीतर प्रदाय नहीं की जाती हैं तो तहसीलदार कारण अभिलिखित करेगा तथा उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट देगा.
 - (६) धारा ३५ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई मामला किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जाएगा तथा गुणागुण क्रम में निपटाया जाएगा.
 - (७) इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां पंजीकरण होने की तारीख से अविवादित मामले के संबंध में दो माह के भीतर पूर्ण की जाएगी तथा विवादित कार्यवाहियों के मामले के छह माह के भीतर पूरी की जाएंगी. उस दशा में, जहां कार्यवाहियां विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर निराकृत नहीं की जाती हैं, तो तहसीलदार, लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, कलेक्टर को देगा.''.

धारा ११२ का लोप

४१. मूल अधिनियम की धारा ११२ का लोप किया जाए.

धारा ११३ का स्थापन.

- ४२. मूल अधिनियम की धारा ११३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - "११३. अधिकार अभिलेख में गलितयों का शुद्धिकरण.—कलेक्टर, किसी भी समय, लेखन संबंधी किन्हीं भी गलितयों को तथा किन्हीं भी ऐसी गलितयों को जिनके कि संबंध में हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हों, कि वे धारा १०८ के अधीन तैयार किए गए अधिकार अभिलेख में हुई हैं, शुद्ध कर सकेगा या शुद्ध करवा सकेगा.".

४३. .—मूल अधिनियम की धारा ११४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ११४ का स्थापन

''११४. भू-अभिलेख—(१)निम्नलिखित भू-अभिलेख प्रत्येक ग्राम के लिए तैयार किए जाएंगे, अर्थात्:—

- (क) ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा धारा १०७ के अधीन ब्लॉक का नक्शा;
- (ख) धारा १०८ के अधीन अधिकार-अभिलेख;
- (ग) ग्राम का खसरा या ग्राम की क्षेत्र पुस्तक ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित की जाए;
- (घ) धारा ११४--क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका;
- (ङ) (एक) धारा २३३ के अधीन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे;
 - (दो) धारा २३४ के अधीन निस्तार पत्रक;
 - (तीन) धारा २४२ के अधीन वाजिब-उल-अर्ज, यदि कोई हो;
- (च) व्यपवर्तित की गई भूमि के ब्यौरे; और
- (छ) कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाएं.
- (२) प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक सेक्टर के लिए निम्नलिखित भू-अभिलेख तैयार किए जाएंगे, अर्थात्:—
 - (क) धारा १०७ के अधीन सेक्टर का नक्शा;
 - (ख) धारा १०८ के अधीन अधिकार-अभिलेख;
 - (ग) सेक्टर का खसरा या सेक्टर की क्षेत्र पुस्तिका ऐसे प्ररूप में जो कि विहित की जाए;
 - (घ) धारा ११४-क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका;
 - (ङ) (एक) धारा २३३ के अधीन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे;
 - (दो) धारा २३३-क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि;
 - (च) व्यपवर्तित की गयी भूमि के ब्यौरे; और
 - (छ) कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाएं.''.

४४. मूल अधिनियम की धारा ११४-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ११४-क का स्थापन.

"११४-क. भू-अधिकार पुस्तिका.—(१) तहसीलदार, ऐसे प्रत्येक भूमिस्वामी को, जिसका नाम धारा ११४ के अधीन तैयार किए गए खसरे में प्रविष्ट है, यथास्थिति, किसी ग्राम में के या सेक्टर में के उसके समस्त खातों के बारे में एक भू-अधिकार पुस्तिका, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस के, जो कि विहित की जाए, भुगतान करने पर उसे उपलब्ध कराएगा.

- (२) भू-अधिकार पुस्तिका दो भागों से मिलकर एक पुस्तक के रूप में आबद्ध होगी जिसमें ऐसी विशिष्टयां अन्तर्विष्ट होंगी जो कि विहित की जाएं.
- (३) तहसीलदार स्वप्रेरणा से या भूमिस्वामी के आवेदन पर, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी कि वह उचित समझे, भू-अधिकार पुस्तिका में किसी गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर सकेगा.''.

धारा ११५ का स्थापन ४५. मूल अधिनियम की धारा ११५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

"११५. भू-अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण :—(१) उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, भू-अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर धारा ११४ के अधीन तैयार किये गए भू-अभिलेखों में अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी :

परन्तु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी.

- (२) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश—
 - (क) संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त किये; और
 - (ख) सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए;
 बिना पारित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यदि सरकार का हित निहित है तो उपखण्ड अधिकारी, मामला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन मामला प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच जैसी कि वह ठीक समझे, करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे.''.

धारा ११६ का लोप.

४६. मूल अधिनियम की धारा ११६ का लोप किया जाए.

धारा ११८ का लोप.

४७. मूल अधिनियम की धारा ११८ का लोप किया जाए.

धारा ११९ का लोप.

४८. मूल अधिनियम की धारा ११९ का लोप किया जाए.

धारा १२० का संशोधन ४९. मूल अधिनियम की धारा १२० में, शब्द ''मापक'' के स्थान पर, शब्द 'नगर सर्वेक्षक' स्थापित किए जाएं.

धारा १२१ का लोप.

५०. मूल अधिनियम की धारा १२१ का लोप किया जाए.

धारा १२४ का स्थापन ५१. मूल अधिनियम की धारा १२४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

- ''१२४. ग्रामों, सेक्टरों तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों के सीमा चिन्हों का संनिर्माण.—(१) समस्त ग्रामों तथा सेक्टरों की सीमाएं नियत की जाएंगी तथा स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा उनको सीमांकित किया जाएगा.
- (२) राज्य सरकार, िकसी भी ग्राम या सेक्टर के संबंध में, अधिसूचना द्वारा यह आदेश दे सकेगी कि किसी ग्राम या सेक्टर या उसके भाग के समस्त सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों की भी सीमाएं नियत की जाएं तथा सीमा चिन्हों द्वारा उनको सीमांकित भी किया जाए.

- (३) ऐसे सीमा चिन्ह इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे विनिर्दिष्ट के होंगे तथा ऐसी रीति में सिन्निर्मित तथा अनुरक्षित किए जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए.
- (४) प्रत्येक भू-धारक, भूमि पर बनाए गए स्थायी सीमा-चिन्हों के अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा.''.

५२. मूल अधिनियम की धारा १२५ में,-

धारा १२५ का संशोधन.

पार्श्व शीर्ष, और उपबंध में, शब्द ''ग्रामों, सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों'' के स्थान पर, शब्द, ''ग्रामों, सेक्टरों, सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों'' स्थापित किए जाएं.

५३. मूल अधिनियम की धारा १२६ में,-

धारा १२६ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (१) में, शब्द ''संक्षेपत: बेदखल'' के स्थान पर, शब्द ''विहित रीति में संक्षेपत: बेदखल'' स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (२) तथा (३) का लोप किया जाए.

५४. मूल अधिनियम की धारा १२७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा १२७ का स्थापन.

- ''१२७. सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों का अनुरक्षण :—(१) ग्राम की सड़क या सेक्टर की सड़क या दखलरहित भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई भूमि से लगी हुई भूमि का प्रत्येक धारक, अपने स्वयं के खर्चें से तथा विहित रीति में—
 - (क) अपनी भूमि तथा उससे लगी हुई ग्राम की सड़क या सेक्टर की सड़क या दखलरिहत भूमि अथवा सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई भूमि के बीच सीमा चिन्ह लगाएगा; और
 - (ख) समय-समय पर ऐसे सीमा-चिन्हों की मरम्मत तथा उनका नवीकरण करेगा.
- (२) यदि धारक, उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सीमा-चिन्ह नहीं लगाता है या सीमा चिन्हों की मरम्मत या उनका नवीकरण नहीं करता है तो तहसीलदार, ऐसी सूचना के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, सीमा चिन्ह लगवा सकेगा या सीमा चिन्हों की मरम्मत या उनका नवीकरण करवा सकेगा तथा उपगत किया गया खर्च भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली कर सकेगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''ग्राम की सड़क या सेक्टर की सड़क'' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सड़क जिस पर कोई उपदर्शक सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक अंकित हो.''.

५५. मूल अधिनियम की धारा १२८ में, उपधारा (१) में, शब्द ''प्रतिवर्ष नवम्बर मास की समाप्ति के पश्चात्, ग्राम का पटेल'' के स्थान पर, शब्द ''पटवारी या नगर सर्वेक्षक'' स्थापित किए जाएं.

धारा १२८ का संशोधन

५६. मूल अधिनियम की धारा १२९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

धारा १२९ का स्थापन.

''१२९. सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखण्ड या ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का सीमांकन.—(१) तहसीलदार, किसी पक्षकार के आवेदन पर, राजस्व निरीक्षक अथवा नगर सर्वेक्षक को किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या किसी सर्वेक्षण संख्यांक के उप खण्ड की, या किसी ब्लाक संख्यांक की या भू-खण्ड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह संनिर्मित करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा.

- (२) इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक, पडो़स के भूमि धारकों सिहत हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात्, सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखण्ड की या ब्लाक संख्यांक की या भू-खण्ड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा और उस पर सीमा चिन्ह सिन्निर्मित करेगा तथा तहसीलदार को, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, एक सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. सीमांकन रिपोर्ट में सीमांकित की गई भूमि पर भूमिस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे से संबंधित विशिष्टयां भी सिम्मिलत की जाएंगी.
- (३) राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक सीमांकन के क्रियान्वयन के समय ऐसी एजेंसी की सहायता ऐसी रीति से ले सकेगा, जैसी कि विहित की जाए.
- (४) तहसीलदार, सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, हितबद्ध पक्षकारों सिहत पड़ोस वाले भू-धारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे.
- (५) उपधारा (४) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से व्यथित पक्षकार निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर उपखण्ड अधिकारी को अपास्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा—
 - (क) कि उसे उपधारा (२) के अधीन अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी थी या उपधारा (४) के अधीन सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, या;
 - (ख) कोई अन्य पर्याप्त आधार :

परन्तु ऐसा आवेदन, तहसीलदार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि की तारीख या ऐसे सीमांकन के ज्ञात होने की तारीख, इनमें जो भी बाद की हो, पैंतालीस दिनों के अवसान पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा.

- (६) उपखण्ड अधिकारी, यदि वह उपधारा (५) के अधीन किए गए आवेदन को स्वीकृत करता है, तो वह हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भू-धारकों को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी जांच करने, जैसा कि वह उचित समझे, के पश्चात् या तो वह उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत किए गए सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि करेगा या एक बार फिर से सीमांकन करने के लिए एक दल को प्रतिनियुक्त कर सकेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जैसे कि विहित किए जाएं.
- (७) उपधारा (६) के अधीन प्रतिनियुक्त दल, हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भू-धारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखण्ड की या ब्लाक संख्यांक अथवा भू-खण्ड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा, उस पर सीमा- चिन्ह सिन्निर्मित करेगा और उपखण्ड अधिकारी को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उपखण्ड अधिकारी उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित कर सकेगा.
- (८) धारा ४४ तथा ५० में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील या पुनरीक्षण का आवेदन, पारित किए गए किसी आदेश के या इस धारा के अधीन की गई कार्यवाहियों के विरुद्ध नहीं होगा.
- (९) राज्य सरकार, सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखण्ड की या ब्लाक संख्यांक की या भू-खण्ड संख्यांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी जिनमें उन सीमा चिन्हों का, जो कि उपयोग में लाये जाएंगे, की प्रकृति को विहित करते हुए तथा सीमांकित सर्वेक्षण संख्यांक या उपखण्ड या ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक में की भूमि के धारकों से फीस के उद्धरण हेतु प्राधिकृत किया जाएगा.''.

५७. मूल अधिनियम की धारा १३० में, शब्द ''एक हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार'' स्थापित किए जाएं तथा शब्द ''तथा इत्तिला देने वाले को, यदि कोई हो, इनाम देने के'' विलोपित किए जाएं.

धारा १३० का संशोधन.

५८. मूल अधिनियम की धारा १३१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा १३१ का स्थापन.

- "१३१. मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकारी.—(१) इस बारे में कि कोई खेतिहर अपने खेतों पर या दखलरहित भूमि पर या ग्राम की चरागाहों पर, मान्यता ग्राप्त सड़कों, पथों या सार्वजनिक भूमि पर से जिसके अन्तर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो धारा २४२ के अधीन तैयार किए गए ग्राम के वाजिब—उल—अर्ज में अभिलिखित हैं, न होकर अन्यथा किसी मार्ग द्वारा पहुंचेगा, या इस बारे में कि वह किस स्रोत से या किस जलसरणी से अपने लिए जल प्राप्त कर सकेगा या किस जलसरणी से अपने खेतों में जल निकासी कर सकेगा, कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में, तहसीलदार, स्थानीय जांच करने के पश्चात्, प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ि के प्रति निर्देश करके तथा संबंधित समस्त पक्षकारों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए, उस मामले को, विनिश्चित कर सकेगा.
- (२) तहसीलदार, जांच के किसी प्रक्रम पर, यदि उसकी राय में मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुतोष प्रदान करना आवश्यक है तो वह उपधारा (१) में के विवाद के अधीन किसी मामले के संबंध में तुरन्त अनुतोष प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु ऐसा अंतरिम आदेश, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के अवसान हो जाने पर, यदि पूर्व में समाप्त नहीं किया गया है तो स्वत: समाप्त हो जाएगा.''.

५९. मूल अधिनिम की धारा १३२ का लोप किया जाए.

धारा १३२ का लोप.

६०. मूल अधिनियम की धारा १३३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा १३३ का स्थापन.

- "१३३. बाधा का हटाया जाना.—(१) यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत होता है कि कोई अधिक्रमण या बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क या पथ जिसके अन्तर्गत वे सड़कें तथा वे पथ हैं जो ग्राम के वाजिब-उल-अर्ज में अभिलिखित हैं, अथवा किसी ग्राम की सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में अड़चन पैदा करती हैं या जिससे किसी ऐसी सड़क या जलसरणी या जलस्रोत या जल निकासी में अड़चन पैदा होती है, जो धारा १३१ के अधीन किसी विनिश्चिय से संबंधित हों तो, वह ऐसे अधिक्रमण या बाधा के लिए उसे उत्तरदायी व्यक्ति को हटाने के लिए आदेश दे सकेगा.
- (२) यदि ऐसा व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो तहसीलदार उस अधिक्रमण या बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाये जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा तथा वह व्यक्ति तहसीलदार के ऐसे लिखित आदेश के अधीन, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का कथन किया गया हो, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी.
- (३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन ऐसे अधिक्रमण या बाधा, उसके हटाए जाने के आदेश की तारीख से सात दिवस से अधिक के पश्चात् भी हटाने में असफल रहता है, तो उपखण्ड अधिकारी, ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि उपधारा (२) के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी, उसकी गिरफ्तारी करा सकेगा और अधिक्रमण या बाधा के हटाए जाने संबंधी प्रथम आदेश की दशा में पन्द्रह दिन की कालावधि के लिए और अधिक्रमण या बाधा के हटाए जाने के द्वितीय या पश्चातवर्ती आदेश की दशा में छह मास की कालावधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध किए जाने के वारन्ट के साथ भेजेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए दिवस पर उपस्थित होने के लिए और यह कारण दर्शाने की सूचना जारी न कर दी जाए कि क्यों न उसे सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया जाए :

परन्तु यह और कि यदि उपखण्ड अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अधिक्रमण या बाधा हटा दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति को वारन्ट में उल्लिखित कालाविध के अवसान होने के पूर्व कारागार से मुक्त करने का आदेश दे सकेगा :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन किसी भी महिला को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जाएगा.''.

धारा १३६ का लोप.

६१. मूल अधिनियम की धारा १३६ का लोप किया जाए.

धारा १३८ का संशोधन. ६२. मूल अधिनियम की धारा १३८ में उपधारा (१) में, शब्द ''मुख्यत:'' का लोप किया जाए.

धारा १३९ का लोप.

६३. मूल अधिनियम की धारा १३९ का लोप किया जाए.

धारा १४० का स्थापन. ६४. मूल अधिनियम की धारा १४० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"१४०. तारीख, जिसको भू-राजस्व शोध्य होगा तथा देय होगा.—(१) किसी वर्ष के मद्दे देय भू-राजस्व उस वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन शोध्य हो जाएगा तथा उस वर्ष के जून मास के अंतिम दिन तक ऐसी रीति में, ऐसे व्यक्ति को तथा ऐसे स्थान पर, जैसा कि विहित किया जाए, भुगतान किया जाएगा :

> परन्तु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने की तारीख को देय भू-राजस्व का बकाया १ अप्रैल २०१९ के पूर्व संदेय होगा.

(२) कोई भी व्यक्ति, स्वयं के विकल्प पर दस वर्ष का भू-राजस्व अग्रिम में जमा कर सकेगा : परन्तु ऐसे अग्रिम भुगतान के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि भू-राजस्व में वृद्धि बाद में की जाती है तो अंतर की रकम देय होगी.''.

धारा १४१ का स्थापन ६५. मूल अधिनियम की धारा १४१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"१४१. 'बकाया' तथा 'बकायादार' की परिभाषाएं.—कोई भी भू-राजस्व, जो शोध्य हो और जिसका भुगतान धारा १४० में यथा विनिर्दिष्ट की गई कालाविध की समाप्ति पर्यन्त नहीं किया गया है, उस तारीख से 'बकाया' हो जाता है और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति 'बकायादार' हो जाते हैं.''.

धारा १४२ का स्थापन. ६६. मूल अधिनियम की धारा १४२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

"१४२. भू-राजस्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति रसीद देने के लिए आबद्ध होगा.—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो भू-राजस्व के मद्दे या भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य किसी धनराशि के मद्दे कोई भुगतान प्राप्त करे, वहां वह ऐसी राशि के लिए भुगतानकर्ता को ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए रसीद देगा.".

६७. मूल अधिनियम की धारा १४३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा १४३ क स्थापन.

"१४३. भू-राजस्व के विलंब से भुगतान के लिए दाण्डिक ब्याज.—यदि भू-राजस्व का भुगतान, धारा १४० में यथा विनिर्दिष्ट कालाविध की समाप्ति तक नहीं किया जाता है तो बकाया पर प्रथम बारह मास के लिये बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से और उसके पश्चात्, पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भुगतान की तिथि तक देय होगा:

परन्तु जहां कि सरकार के आदेश से भू-राजस्व का कोई भुगतान निलंबित कर दिया गया है वहां भुगतान में विलंब के लिये ऐसा कोई ब्याज देय नहीं होगा.''.

६८. मूल अधिनियम की धारा १४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा १४४ का स्थापन

"१४४. फसलों के मारे जाने पर भू-राजस्व की माफी या उसका निलंबन.—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, कारण अभिलिखित करते हुए उन वर्षों में जिनमें फसलें किसी क्षेत्र में मारी गयी हों या जिन वर्षों में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विधि के अधीन किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप, किसी क्षेत्र में फसलें नहीं उगाई जा सकी हों, भू-राजस्व की माफी या उसका निलंबन मंजूर कर सकेगी.".

६९. मूल अधिनियम की धारा १४५ में, उपधारा (१) में, शब्द ''कलेक्टर द्वारा या तहसीलदार द्वारा'' के स्थान पर शब्द ''तहसीलदार द्वारा'' स्थापित किए जाएं.

धारा १४५ का संशोधन.

७०. मूल अधिनियम की धारा १४६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा १४६ का स्थापन.

- ''**१४६. मांग की सूचना.**—(१) तहसीलदार, बकाया की वसूली के लिए धारा १४७ के अधीन कोई आदेशिका जारी करने के पूर्व, किसी बकायादार पर मांग की सूचना तामील करवाएगा.
- (२) कोई बकायादार, तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि कोई भी शोध्य बकाया नहीं है अथवा शोध्य रकम उस रकम से कम है, जिसके लिए मांग की सूचना की तामील की गयी है और तहसीलदार, इस प्रकार उठाई गई आपित्त को विनिश्चित करेगा और उसके पश्चात् ही धारा १४७ के अधीन कोई आदेशिका जारी करने की कार्यवाही करेगा, यदि अपेक्षित हो.''.
- ७१. (१) मूल अधिनियम की धारा १४७ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और

धारा १४७ का संशोधन

- (एक) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (१) में,-
 - (क) प्रारंभिक पैरा में आए शब्द ''या ग्राम सभा'' का लोप किया जाए;
 - (ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्;
 - (ग) बकायादार की किसी अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की या बिक्री द्वारा, जहां कहीं भी स्थित हो;'';
- (दो) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :—
 - ''(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तहसीलदार, बकायादार की किन्हीं वित्तीय आस्तियों, जिनमें बैंक खाते या लॉकर सम्मिलित हैं, जहां कहीं भी स्थित हों, कुर्की करते हुए भू-राजस्व की बकाया वसूल कर सकेगा. बकायादार की वित्तीय आस्तियों की कुर्की जहां तक संभव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) की प्रथम अनुसूची में

अंतर्विष्ट आदेश २१ में अधिकथित रीति में वित्तीय आस्तियों के भारसाधक पर गार्निशी आदेश की तामीली करके की जाएगी. बकायादार द्वारा किराये पर लिए गए किसी लॉकर की दशा में, ऐसे भारसाधक की उपस्थिति में लॉकर को सीलबंद किया जाएगा जो इसके अंदर की वस्तुओं की विवरण सूची तैयार करने और उनका अंतिम रूप से निराकरण करने के लिए तहसीलदार के आगामी आदेश तक रुका रहेगा.

(३) उपखण्ड अधिकारी, पचास लाख रुपये से अधिक की भू-राजस्व की बकाया के भुगतान में चूक करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा सकेगा और उसे पन्द्रह दिन से अनिधक कालाविध के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध किये जाने के वारंट के साथ भेजेगा जब तक कि बकाया का त्वरित भगतान नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये दिवस पर उपस्थित होने के लिए और यह कारण दर्शाने की सूचना जारी न कर दी जाए कि क्यों न उसे सिविल कारागार के सुपूर्व कर दिया जाए.

- (४) उपधारा (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को भू-राजस्व की बकाया के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उसे सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा जहां तक कि और जब तक कि ऐसा व्यक्ति —
 - (क) अवयस्क है, या मानसिक रूप से बीमार या मंदबुद्धि व्यक्ति है;
 - (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) की धारा १३३, १३५ या १३५-क के अधीन छूट प्राप्त है.
- (५) गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला उपखण्ड अधिकारी ऐसा वारंट वापिस ले सकेगा यदि बकायादार संपूर्ण बकाया या उसके सारवान भाग का भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वचन देता है और उसके लिए पर्याप्त प्रतिभृति प्रस्तुत कर देता है.''.

धारा १४९ का संशोधन. ७२. मूल अधिनियम की धारा १४९ में, शब्द तथा कोष्ठक ''के खण्ड (क) तथा (ग)'' का लोप किया जाए.

धारा १५० क स्थापन ७३. मूल अधिनियम की धारा १५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"१५०. संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व भुगतान कर दिया जाने पर कार्यवाही का रोक दिया जाना.—यदि भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां इस अध्याय के अधीन की जाती हैं, तो वह व्यक्ति, सम्पत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व किसी भी समय दावाकृत रकम का भुगतान कर सकेगा और तदुपिर कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी."

धारा १५१ का ७४. मूल अधिनियम की धारा १५१ में, उपधारा (२) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''धारा १४७ के खण्ड संशोधन. (ग)'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''धारा १४७ की उपधारा (१) के खण्ड (ग)'' स्थापित किए जाएं.

धारा १५३ का ७५. मूल अधिनियम की धारा १५३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— स्थापन

> ''१५३. क्रेता का हक.—जहां स्थावर सम्पत्ति का विक्रय इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किया जाता है और ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया है, वहां वह सम्पत्ति क्रेता में उस समय से निहित हो गयी समझी जाएगी जबकि क्रेता द्वारा विक्रय पत्र में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण धन जमाकर दिया जाता है.''.

७६. मूल अधिनियम की धारा १५४-क में, उपधारा (१) में,—

धारा १५४-क का संशोधन.

- (एक) शब्द, तथा अंक धारा १४७ के स्थान पर, शब्द, तथा अंक कोष्ठक धारा १४७ की उपधारा (१) स्थापित किए जाएं;
- (दो) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाए;
- (तीन) द्वितीय परन्तुक में, शब्द "और भी" का लोप किया जाए.

७७. मूल अधिनियम की धारा १५५ में, खण्ड (छ) के परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्ध विराम धारा १५५ का संशोधन.

''(ज) वे समस्त धन जो राज्य सरकार के स्वामित्व के और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित ऐसी सत्ता (एंटिटी) के हों जो कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, देय होते हों :

परन्तु इस खण्ड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे आवेदन पत्र के साथ उक्त सत्ता (एंटिटी) जो किसी भी नाम से जानी जाती हो, के मुख्य कार्यपालक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो.''.

७८. मूल अधिनियम की धारा १५८ में, उपधारा (३) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा १५८ का संशोधन.

''परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, पट्टे या आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालाविध के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा और तत्पश्चात् ऐसी भूमि का अंतरण, धारा १६५ की उपधारा (७-ख) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करके कर सकेगा.''.

७९. मूल अधिनियम की धारा १६१ में, पार्श्व शीर्ष तथा उपधारा (१) में, शब्द ''बंदोबस्त चालू रहने के दौरान'' का लोप किया जाए.

धारा १६१ का संशोधन.

८०. मूल अधिनियम की धारा १६२ का लोप किया जाए.

धारा १६२ का लोप.

८१. मूल अधिनियम की धारा १६३ का लोप किया जाए.

धारा १६३ का लोप.

८२. मूल अधिनियम की धारा १६५ में उपधारा (४) में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्.—

धारा १६५ का संशोधन

परन्तुक यह और कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) के अधीन भूमि का अन्तरण, ऐसे अन्तरण के पूर्व धारा ५९ के अधीन भूमि व्यपवर्तित की जाएगी.

८३. मूल अधिनियम की धारा १६८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा १६८ की फ्यापन

"१६८. पट्टे.—(१) कोई भी भूमिस्वामी उसके खाते में समाविष्ट किसी ऐसी भूमि को, जिसे धारा ५९ के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है, एक समय में पांच वर्ष से अनिधक की कालाविध के लिए पट्टे पर दे सकेगा.

- (२) पट्टेदार उस भूमि को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर धारित करेगा जो कि उसके तथा भूमिस्वामी के बीच करार में तय पाई जाएं.
- (३) भूमिस्वामी के आवेदन पर, तहसीलदार किसी सारवान निबंधन में या पटटे की शर्त के भंग के आधार पर या पट्टा प्रवृत्त न रहने के कारण भूमि का कब्जा भूमिस्वामी को देने का आदेश कर सकेगा.
- (४) यदि कोई पट्टेदार, पट्टे के अवसान हो जाने पर या उपधारा (३) के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर भूमिस्वामी को भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है तो भूमिस्वामी के बारे में यह समझा जाएगा कि पट्टेदार द्वारा उसकी भूमि से उसे अनुचित रूप से बेदखल कर दिया गया है और वह धारा २५० के अधीन अनुतोष पाने का हकदार हो जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

- (क) "पट्टा" से अभिप्रेत है किसी भूमि का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अन्तरण जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए, किसी कीमत के, जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो अथवा धन या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के, जो कालावधीय रूप से अन्तरिती द्वारा, जो उस अन्तरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहीत करता है, अन्तरक को दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो;
- (ख) किसी ऐसे ठहराव को, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भूमिस्वामी को भूमि की उपज का कोई विनिर्दिष्ट अंश देने की शर्त पर भूमिस्वामी की किसी भूमि पर खेती करता है, पट्टा समझा जाएगा;
- (ग) उपधारा (१) के अधीन पांच वर्ष से अधिक की किसी कालाविध के लिए दिया गया पट्टा,
 पांच वर्ष की कालाविध के लिए दिया गया समझा जाएगा;
- (घ) केवल घांस काटने या पशु चराने या सिंघाड़ा उगाने या लाख का प्रजनन या संग्रहण करने या तेन्दु पत्ते को तोड़ने या उनका संग्रहण करने के अधिकार का दिया जाना भूमि का पट्टा नहीं समझा जाएगा.''.

धारा १६९ का लोप.

८४. मूल अधिनियम की धारा १६९ का लोप किया जाए.

धारा १७१ का लोप.

८५. मूल अधिनियम की धारा १७१ का लोप किया जाए.

धारा १७२ का लोप.

८६. मूल अधिनियम की धारा १७२ का लोप किया जाए.

धारा १७४ का लोप.

८७. मूल अधिनियम की धारा १७४ का लोप किया जाए.

धारा १७६ का लोप.

८८. मूल अधिनियम की धारा १७६ का लोप किया जाए.

धारा १७८-क का स्थापन ८९. मूल अधिनियम की धारा १७८-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"१७८-क. भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि का विभाजन.—(१) यदि कोई भूमि-स्वामी धारा ५९ के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित अपने खाते या उसके किसी भाग को अपने जीवनकाल के दौरान अपने विधिक वारिसों में विभाजित करना चाहता है तो वह ऐसे खाते या उसके भाग के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा.

- (२) तहसीलदार, विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात्, उस खाते को या उसके भाग को विभाजित कर सकेगा और निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा.''.
- ९०. मूल अधिनियम की धारा १८१-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा १८१-क का स्थापन.

"१८१-क. फ्री होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति भूमिस्वामी होगा.—प्रत्येक व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के अव्यवहित पूर्व भूमि में फ्री-होल्ड अधिकार रखता है, ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा.".

९१. मूल अधिनियम की धारा १८२ में, उपधारा (२) में, शब्द, ''राजस्व अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''कलेक्टर'' स्थापित किया जाए.

धारा १८२ का संशोधन.

९२. मूल अधिनियम की धारा १८३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा १८३ का स्थापन

- "१८३. सेवा भूमि.—(१) कोटवार के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस दशा में ऐसी भूमि का हकदार नहीं रह जाएगा जबकि वह ऐसी भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित कर देता है.
- (२) सेवा भूमि में किसी कोटवार को ऐसा अधिकार, किसी विक्रय, दान, बंधक, उप पट्टे द्वारा या अन्यथा एक वर्ष से अनिधक कालाविध तक के उप-पट्टे के सिवाय न तो अंतरित किया जाएगा और न ही अन्तरणीय होगा.
- (३) यदि कोटवार की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग देता है, या विधि पूर्वक पदच्युत कर दिया जाता है तो सेवा भूमि उसके उत्तरवर्ती को संक्रात हो जाएगी.
- (४) किसी कोटवार का ऐसी भूमि पर अधिकार किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जाएगा या बेचा नहीं जाएगा और न ही ऐसी भूमि का प्रबंध करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का संख्यांक ५) की धारा ५१ के अधीन कोई रिसीवर नियुक्त किया जाएगा.
- (५) यदि कोई कोटवार उपधारा (१) और (२) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो इस संहिता या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी सेवा भूमि तहसीलदार के आदेश द्वारा उससे वापस ली जा सकेगी और उस कोटवार या किसी अन्य किसी व्यक्ति को, जो अप्राधिकृत रूप से उस भूमि पर लगातार कब्जा बनाए रखता है, धारा २४८ के अधीन बेदखल किया जा सकेगा.
- (६) ऐसी सेवा भूमियां जो-
 - (क) नगरीय क्षेत्र में;
 - (ख) ऐसे क्षेत्र में, जिसके लिए विकास योजना अनुमोदित की गई है; या
 - (ग) ऐसे क्षेत्र में, जो राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की बाह्य सीमा से बाहर अवस्थित हैं.

राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तारीख से सेवा भूमि नहीं रह जाएंगी और तहसीलदार भू-अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन कराएगा.''.

९३. मूल अधिनियम की धारा १८४ का लोप किया जाए.

धारा १८४ का लोप.

९४. मौरूसी कृषक से संबंधित मूल अधिनियम के अध्याय चौदह की धारा १८५ से २०२ तक (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए) का लोप किया जाए.

अध्याय चौदह का लोप और व्यावृति. उक्त अध्याय का लोप होते हुए भी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के पूर्व बोर्ड या किसी राजस्व अधिकारी या किसी प्राधिकारी के समक्ष मौरूसी कृषक से संबंधित कोई मामला या कार्यवाही लंबित है वे बोर्ड या राजस्व अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसे सुनी और विनिश्चित की जाएंगी मानो कि संशोधन अधिनियम पारित नहीं हुआ हो.''.

धारा २०३ का स्थापन. ९५. मूल अधिनियम की धारा २०३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्.—

- ''२०३. जलोढ़ तथा जल-प्लावन.—(१) किसी तट पर बनी जलोढ़ भूमि राज्य सरकार में निहित होगी, किन्तु ऐसे तट से लगी हुई भूमि का भूमिस्वामी, यदि कोई हो, उसके खाते में इस प्रकार बढ़ गई जलोढ़ भूमि का उपयोग भू-सर्वेक्षण होने तक तब तक भू-राजस्व का भुगतान किए बिना करने का हकदार होगा जब तक कि उसके खाते में बढ़ गया क्षेत्रफल आधा हेक्टर से अधिक न हो जाए.
- (२) जहां जल-प्लावन द्वारा किसी खाते के क्षेत्रफल में आधे हेक्टेयर से अधिक की कमी हो जाए, वहां ऐसे खाते के संबंध में देय भू-राजस्व कम कर दिया जाएगा.''.

धारा २१० का ९६. मूल अधिनियम की धारा २१० में, शब्द ''बन्दोबस्त आयुक्त'' के स्थान पर, शब्द ''आयुक्त'' स्थापित संशोधन. किया जाए.

धारा २२४ का ९७. मूल अधिनियम की धारा २२४ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, संशोधन. , अर्थात् :—

''(क) ऐसे वसूली प्रभार की कटौती करने के पश्चात्, जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अवधारित करे, भू-राजस्व तथा अन्य संबंधित करों तथा उपकरों जो कि उसके मार्फत देय हैं, और अन्य शासकीय शोध्य को जो उसके द्वारा संग्रहित होना आदेशित हैं, संगृहीत करे तथा शासकीय कोषालय में जमा करे;''.

धारा २२५ का लोप.

९८. मूल अधिनियम की धारा २२५ का लोप किया जाए.

धारा २२७ का संशोधन. ९९. मूल अधिनियम की धारा २२७ में, शब्द तथा अंक ''या २२५'' का लोप किया जाए.

धारा २२९ का संशोधन १००. मूल अधिनियम की धारा २२९ में, शब्द तथा अंक ''धारा २३२'' के उपबंधों के अनुसार गठित की गई'' का लोप किया जाए.

धारा २३० का संशोधन. १०१. मूल अधिनियम की धारा २३० में उपधारा (१) के परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा २३१ का स्थापन. १०२. मूल अधिनियम की धारा २३१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"२३१. कोटवारों का पारिश्रमिक.—राज्य सरकार, साधारण आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो उस आदेश में वर्णित किए जाएं, अध्यधीन रहते हुए, समय-समय पर, कोटवारों को उनकी सेवाओं के लिये सेवा भूमि उपलब्ध कराने या उनका पारिश्रमिक या दोनों के लिये मापदण्ड नियत कर सकेगी."

धारा २३२ का लोप. १०३. मूल अधिनियम के अध्याय १७ में, उप शीर्षक ''ग–ग्राम सभा'' और धारा २३२ का लोप किया जाए. १०४. मूल अधिनियम की धारा २३३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा २३३ का स्थापन.

"२३३. दखलरहित भूमि का अभिलेख.—प्रत्येक ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र के लिये समस्त दखलरहित भूमि के अभिलेख इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए जाएंगे.".

१०५. मूल अधिनियम की धारा २३३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा २३३-क का अन्तःस्थापन

"२३३-क. नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजनों के लिये भूमि का पृथक् रखा जाना.—कलेक्टर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर, जारी निदेशों के अनुसार,

- (क) दखलरिहत भूमियों को, जो नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं, लोक प्रयोजनों के लिये पृथक् रख सकेगा;
- (ख) उस लोक प्रयोजन को परिवर्तित कर सकेगा जिसके लिए वह भूमि पृथक् से रखी गई है; या
- (ग) किसी ऐसी भूमि के संबंध में खण्ड (क) के अधीन की गई कार्रवाई खत्म कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भूमि लोक प्रयोजनों के लिये पृथक् से नहीं रखी जाएगी जो कि अनुमोदित विकास योजना से असंगत है.''.

१०६. मूल अधिनियम की धारा २३४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा २३४ का स्थापन.

"२३४. निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना.—उपखण्ड अधिकारी, इस संहिता तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक ग्राम के लिये एक निस्तार पत्रक तैयार करेगा, जिसमें किसी ग्राम में की समस्त दखलरहित भूमि के प्रबंध की स्कीम तथा उससे आनुषांगिक समस्त विषयों और विशिष्टत: धारा २३५ में विनिर्दिष्ट विषयों का समावेश होगा.".

१०७. मूल अधिनियम की धारा २३९ में,—

धारा २३९ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (२), (३) तथा (४) का लोप किया जाए;
- (दो) उपधारा (५) तथा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—
 - "(५) यदि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनयम, २०१८ के प्रारम्भ होने के पूर्व इस धारा के अधीन मंजूर किए गए वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र या वृक्ष पट्टे के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का भंग किया जाता है तो तहसीलदार, वृक्षारोपण अनुज्ञापन पत्र या वृक्ष पट्टा, धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, रद्द कर सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति दखलरहित भूमि को अनिधकृत रूप से लगातार कब्जे में बनाए रखता है तो तहसीलदार धारा २४८ के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अग्रसर होगा.
 - (६) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के पूर्व दखलरिहत भूमि जिस पर कोई वृक्षारोपण अनुज्ञापन पत्र या वृक्ष पट्टा दिया गया है, कलेक्टर के आदेश द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जा सकेगी. यदि ऐसे वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र या वृक्ष पट्टे के धारक का कोई हित या ऐसे उपयोग के कारण से प्रतिकूल प्रभावित होता है तो धारक ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा जो कि विहित की जाए.''.

१०८. मूल अधिनियम की धारा २४० में,—

धारा २४० का संशोधन.

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''ग्रामों में कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध'';

- (दो) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--
 - ''(१) राज्य सरकार, ग्रामों में भूमिस्वामी की भूमि पर या राज्य सरकार की भूमि पर खड़े ऐसे वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रतिषेध या विनियमन लोकहित में या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये अपेक्षित है.''.

धारा २४३ का १०९. मूल अधिनियम की धारा २४३ में, उपधारा (३) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''भूमि अर्जन संश्रोधन. अधिनियम, १८९४ (१८९४ का संख्यांक १)'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का ३०)'' स्थापित किए जाएं.''.

धारा २४४ का स्थापन.

- ११०. मूल अधिनियम की धारा २४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
 - ''२४४. आबादी स्थलों का आबंटन.—इस संबंध में बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, तहसीलदार आबादी क्षेत्र में पट्टे पर आबादी स्थलों का आबंटन करेगा.''.

धारा २४५ का स्थापन.

- १११. मूल अधिनियम की धारा २४५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
 - "२४५. भू-राजस्व दिए बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार.—आबादी में स्थित युक्तियुक्त माप (डायमेंशन) का कोई भवन स्थल, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के समय किसी कोटवार द्वारा धारित है या किसी व्यक्ति द्वारा जो भूमि धारण करता है या ऐसे ग्राम में या उस ग्राम में जिसमें कि सामान्यत: ऐसे ग्राम में खेती की जाती है, या कृषि शिल्पी या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता है, भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं होगा.''.

धारा २४६ का संशोधन.

- ११२. मूल अधिनियम की धारा २४६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
 - ''२४६. आबादी में गृहस्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार.—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व आबादी में गृहस्थल के रूप में कोई भूमि विधिपूर्वक धारण करता है, भूमिस्वामी होगा.''.

धारा २४८ का ११३. मूल अधिनियम की धारा २४८ में, उपधारा (१) में, शब्द ''अप्राधिकृत दखल की कालाविध के लिये संशोधन. भूमि का लगान उस स्थान में ऐसी भूमि के लिये स्वीकार्य दर की दुगनी दर से चुकाने के तथा ऐसे जुर्माने के, जो ऐसी अधिक्रमित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत तक का हो सकता है'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा'' स्थापित किए जाएं.

धारा २५० का स्थापन

- ११४. मूल अधिनियम की धारा २५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
 - ''२५०. अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुन:स्थापन.—
 - (१) तहसीलदार,—
 - (क) िकसी भूमिस्वामी या उसके हित उत्तराधिकारी के आवेदन पर जिन्हें अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है उसके कब्जे का आधार पर वर्णन कर भूमिस्वामी की भूमि पर कब्जा कर रहे व्यक्ति को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी कि वह उचित समझे; या

- (ख) यह ज्ञात होने पर कि भूमिस्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है, स्वप्रेरणा से खण्ड (क) के अधीन कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा.
- (२) यदि जांच के पश्चात् तहसीलदार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमिस्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिए जाने का आदेश देगा और फिर वह उसे भूमि का कब्जा भी दिलाएगा.
- (३) तहसीलदार, जांच के किसी भी प्रक्रम पर, भूमिस्वामी को कब्जा दिए जाने के लिए अन्तरिम आदेश पारित कर सकेगा, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने या स्वप्रेरणा से कार्यवाहियां प्रारंभ की जाने के पूर्व के छह मास के भीतर विरोधी पक्षकार द्वारा बेकब्जा कर दिया गया था.
- (४) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उपधारा (३) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश पारित कर दिया गया हो, तो तहसीलदार यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह तहसीलदार द्वारा अन्तिम आदेश पारित किए जाने तक उस भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिये ऐसी राशि का, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, बंधपत्र निष्पादित करे और यदि यह पाया जाए कि बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति ने बंधपत्र के उल्लंघन में उस भूमि में प्रवेश किया है या उसका कब्जा ले लिया है, तो तहसीलदार बंधपत्र को पूर्णत: या भागत: समपह्नत कर सकेगा और ऐसी राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसुल कर सकेगा.
- (५) जहां तहसीलदार का उपधारा (२) के अधीन भूमिस्वामी को कब्जा पुन: दिलाये जाने का आदेश हो वहां तहसीलदार उसके अप्राधिकृत किए गए कब्जे की कालाविध के लिये विरोधी पक्षकार से भूमिस्वामी को संदत्त किया जाने वाला प्रतिकर भी अधिनिर्णीत करेगा तथा ऐसा प्रतिकर उस दर पर संगणित होगा जो दस हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष के अनुपातिक हो. इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किया गया प्रतिकर भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा.
- (६) जब उपधारा (२) के अधीन, भूमिस्वामी को पुन: कब्जा दिलाया जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां तहसीलदार विरोधी पक्षकार से इस बात के लिये अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश के उल्लंघन में भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिये ऐसी राशि का, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, बंधपत्र निष्पादित करे.
- (७) जहाँ उपधारा (२) के अधीन, भूमिस्वामी को पुन: कब्जा दिलाये जाने के लिये आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां विरोधी पक्षकार जुर्माने के, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, लिए भी दायित्वाधीन होगा.
- (८) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन कब्जा वापस दे दिया जाने के आदेश की तारीख के पश्चात्, सात दिनों से अधिक कालावधि तक किसी भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है, तो उक्त उपधारा (५) के अधीन देय प्रतिकर या उपधारा (७) के अधीन जुर्माने पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, ऐसे भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिये किए गए प्रथम आदेश की दशा में, उपखण्ड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और पन्द्रह दिन की कालावधि के लिये परिरूद्ध किया जाने के लिए, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा, तथा ऐसे भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिए द्वितीय या पश्चात्वर्ती आदेश की दशा में, उपखण्ड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और तीन मास की कालावधि के लिए परिरूद्ध किया जाने के लिए, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना न जारी कर दी गई हो कि वह उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी, उपसंजात हो और इस संबंध में कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए :

परन्तु यह और कि उपखण्ड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारण्ट में उल्लिखित कालाविध का अवसान होने के पूर्व, निरोध से छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ दिया गया है.

स्पष्टीकरण-एक.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, भूमिस्वामी में सम्मिलित है सरकारी पट्टेदार.

स्पष्टीकरण-दो.—इस धारा के प्रयोजन के लिये ''अनुचित रूप से बेकब्जा किये गये भूमिस्वामी'' से अभिप्रेत है ऐसे किसी भूमिस्वामी को भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेकब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो, या यदि कोई व्यक्ति भूमिस्वामी की किसी ऐसी भूमि पर, जिसके कि उपयोग के लिये ऐसा व्यक्ति हकदार न रह गया हो, अप्राधिकृत रूप से कब्जा किए रहे.''.

धारा २५०-क का

धारा २५२ का लोप.

११५. मूल अधिनियम की धारा २५०-क का लोप किया जाए.

लोप.

११६. मूल अधिनियम की धारा २५२ का लोप किया जाए.

धारा २५३ का

११७. मूल अधिनियम की धारा २५३ में, उपधारा (२) का लोप किया जाए.

संशोधन. धारा २५४ का लोप.

११८. मूल अधिनियम की धारा २५४ का लोप किया जाए.

धारा २५५ का लोप.

११९. मूल अधिनियम की धारा २५५ का लोप किया जाए.

धारा २५७ का संशोधन. १२०. मूल अधिनियम की धारा २५७ में,—

- (एक) खण्ड (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न) तथा (प) का लोप किया जाए;
- (दो) खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए—
 - ''(भ) धारा २५० के अधीन अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी के पुन: स्थापन तथा सिविल कारगार में निरुद्ध के बारे में कोई विनिश्चय;'';
- (तीन) खण्ड (भ-१) का लोप किया जाए;
- (चार) खण्ड (य-१) का लोप किया जाए.

धारा २५८ का संशोधन. १२१. मूल अधिनियम की धारा २५८ में,

- (एक) उपधारा (२) में,-
 - (क) खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(एक-क) धारा १३(२) के अधीन प्रस्थापना के प्रकाशन के लिए प्ररूप विहित किया जाना;'';

- (ख) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 - ''(दो) धारा २० (२) के अधीन भू-अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों के कर्तव्यों का विहित किया जानाः'':

- (ग) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(तीन) धारा ५९ के अधीन निर्धारण की दरें, प्रीमियम तथा निर्धारण का अधिरोपण तथा भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण तथा व्यपवर्तन की प्रज्ञापना के लिए रीति;'';
- (घ) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - ''(चार-क) धारा ६१ (ङ) के अधीन अन्य अभिलेख विहित करना;

(चार-ख) प्रयोग की जाने वाली शक्तियां तथा कर्तव्य धारा ६३ (२) के अधीन निर्वहन करेगा;'';

- (ङ) खण्ड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—
 - ''(पांच) धारा ६७ के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक, भू-खण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना;
 - ''(पांच-क) धारा ६८ की उपधारा (३) के अधीन किसी सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का विभाजन या समामेलन तथा उनका निर्धारण किया जाना;'';
- (च) खण्ड (छह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(छह) धारा ६९ के अधीन भू–अभिलेख में सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों तथा भू–खण्ड संख्यांकों तथा उनके उप–खण्डों की प्रविष्टि किया जाना;'';
- (छ) खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(सात) धारा ७१ के अधीन ग्राम या सेक्टर को विभाजित करना या ग्रामों या सेक्टरों को सिम्मिलित करना;'';
- (ज) खण्ड (आठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - ''(आठ) धारा ७२ के अधीन खातों पर नियत दरों पर निर्धारण किया जाना;'';
- (झ) खण्ड (नौ), (दस) और (ग्यारह) लोप का किया जाए;
- (অ) खण्ड (बारह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - "(बारह) धारा ७७ के अधीन भू-सर्वेक्षण करने के लिए विनियमन;";
- (ट) खण्ड (पंद्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अट्ठारह) का लोप किया जाए;
- (ठ) खण्ड (उन्नीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(उन्नीस) धारा १०४ (२) के अधीन पटवारी तथा नगर सर्वेक्षक के अन्य कर्तव्यों का विहित किया जाना;'';

- (ड) खण्ड (इक्कीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:— ''(इक्कीस) धारा १०७ के अधीन नक्शों का माप तथा अन्य विशिष्टियों का विहित किया जाना;'';
- (ढ) खण्ड (तेईस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - ''(तेईस) धारा १०९ तथा ११० के अधीन निम्नलिखित के लिए रीति तथा प्ररूपों का विहित किया जाना—
 - (क) अधिकार का अर्जन, प्रज्ञापना की रिपोर्ट करना;
 - (ख) नामांतरण पूर्व का स्केच, यदि कोई हो;
 - (ग) अभिस्वीकृति;
 - (घ) रजिस्टर;
 - (ङ) लिखित प्रज्ञापना या नोटिस को प्रदर्शित किया जाना;
 - (च) प्रतिलिपि का प्रदाय;
 - (छ) लंबित मामलों की जानकारी; और
 - (ज) फीस का विहित किया जाना.'';
- (ण) खण्ड (चौबीस) का लोप किया जाए;
- (त) खण्ड (पच्चीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(पच्चीस) धारा ११४ के अधीन भू-अभिलेखों को तैयार करना तथा उन्हें विहित करना;'';
- (थ) खण्ड (पच्चीस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(पच्चीस-क) उस फीस का विहित किया जाना जिसका कि भुगतान किये जाने पर धारा ११४-क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका दी जाएगी तथा प्रविष्टियों के ब्यौरे विहित किए जाना;'';
- (द) खण्ड (अट्ठाईस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(अट्ठाईस) धारा १२४ के अधीन ग्रामों, सेक्टरों के तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों के सीमा चिन्हों संबंधी विनिर्देश तथा सिन्नर्माण एवं अनुरक्षण की रीति;'';
- (ध) खण्ड (उन्तीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(उन्तीस) धारा १२७ के अधीन ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि तथा उससे लगी हुई भूमि के बीच सीमा चिन्हों को अंकित करने की रीति और वह रीति जिसमें वे सु-अवस्था में रखे जाएंगे तथा उनका नवीनीकरण किया जाएगा;'';

- (न) खण्ड (इकतीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 - ''(इकतीस) वह रीति, वे व्यक्ति जिन्हें तथा वह स्थान जहां भू-राजस्व धारा १४० के अधीन संदत्त किया जाएगा;'';
- (प) खण्ड (छत्तीस) में, शब्द "बंदोबस्त के चालू रहने के दौरान" का लोप किया जाए;
- (फ) खण्ड (सैंतीस) का लोप किया जाए;
- (ब) खण्ड (इकतालीस) का लोप किया जाए;
- (भ) खण्ड (तैंतालीस) का लोप किया जाए;
- (म) खण्ड (चवालीस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(चवालीस-क) धारा १७८-क के अधीन भूमिस्वामी के जीवनकाल में विभाजन तथा निर्धारण के प्रभाजन का विनियमन;'';
- (य) खण्ड (सैंतालीस) से (इक्यावन) का लोप किया जाए;
- (य-क) खण्ड (छप्पन) का लोप किया जाए;
- (य-ख) खण्ड (सतावन) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्.—
 - ''(सतावन-क) धारा २३३-क के अधीन संधारित किए जाने वाले अभिलेख का विहित किया जाना;
- (य-ग) खण्ड (साठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(साठ) धारा २३९ (६) के अधीन प्रतिकर की संगणना करने की रीति;'';
- (य-घ) खण्ड (पैंसठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:— "(पैंसठ-क) धारा २५० के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए;";
- (य-ङ) खण्ड (सड़सठ) का लोप किया जाए;
- (दो) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—
 - ''(२-क) राज्य सरकार, समय-समय पर, मण्डल की पद्धित तथा प्रक्रिया को तथा अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करते हुए, इस संहिता के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी तथा ऐसे नियमों द्वारा अनुसूची-एक में से समस्त नियमों या उनमें से किसी भी नियम को बातिल कर सकेगी, परिवर्तित कर सकेगी या परिवर्धित कर सकेगी.

- (२-ख) विशिष्टतया तथा उपधारा (२-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—
 - (क) साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में समन, सूचनाओं तथा अन्य आदेशिकाओं की डाक द्वारा या किसी अन्य रीति में तामील और ऐसी तामील का सबूत;
 - (ख) पक्षकारों तथा साक्षियों को समन करने की राजस्व अधिकारियों की शिक्त का विनियमन और साक्षियों के लिए व्ययों की मंजूरी;
 - (ग) मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं का, इस संहिता के अधीन की कार्यवाहियों में उनके द्वारा की जाने वाली उपसंजातियों, किए जाने वाले आवेदनों तथा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विनियमन;
 - (घ) वह प्रक्रिया जिसका अनुपालन जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों की कुर्की करने में किया जाएगा;
 - (ङ) विक्रयों को प्रकाशित करने, संचालित करने, अपास्त करने तथा उनकी पुष्टि करने के लिए प्रक्रिया तथा ऐसी कार्यवाहियों से संसक्त समस्त आनुषंगिक विषय;
 - (च) पशुधन तथा अन्य जंगम सम्पत्ति का, जबिक वह कुर्की के अधीन हो, अनुरक्षण तथा उसकी अभिरक्षा, ऐसे अनुरक्षण तथा ऐसी अभिरक्षा के लिए देय फीस, ऐसे पशुधन तथा संपत्ति का विक्रय और ऐसे विक्रय के आगम;
 - (छ) अपील तथा अन्य कार्यवाहियों का समेकन;
 - (ज) ऐसे समस्त प्ररूप, रिजस्टर, पुस्तकें, प्रविष्टियां तथा लेखे जो कि राजस्व न्यायालयों के कामकाज के संपादन के लिए आवश्यक या वांछनीय हों;
 - (झ) वह समय जिसके भीतर, किसी अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में, अपीलें फाइल की जा सकेंगी या पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किए जा सकेंगे;
 - (ञ) किन्हीं भी कार्यवाहियों के तथा उनसे आनुषंगिक खर्चे;
 - (ट) कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा तथा ऐसी परीक्षा पर आनुषंगिक व्ययों का भुगतान;
 - (ठ) अर्जी लेखकों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन.
- (२-ग) ऐसे नियमों का प्रकाशन होने की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से, जो कि विनिर्दिष्ट की जाए, वही बल और प्रभाव होगा मानो कि वे अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट थे.''.

अनुसूची-एक का १२२. मूल अधिनियम की अनुसूची-एक में, शीर्ष में, कोष्ठक शब्द और अंक ''(धारा ४१ देखें)'' के स्थान संशोधन. पर, कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर ''[धारा २५८), (२क) तथा (२ग) देखें]'' स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्र. 12425-250-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT NO. 23 OF 2018

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2018 TABLE OF CONTENTS

Sections:

1.	Short title and commencement
2.	Amendment of section 2.
3.	Amendment of section 4.
4.	Amendment of section 7.
5.	Substitution of section 11.
6.	Amendment of section 13.
7. ·	Insertion of section 13-A.
8.	Substitution of section 19.
9.	Deletion of section 21.
10.	Substitution of section 22.
11.	Substitution of section 24.
12.	Amendment of section 27.
13.	Amendment of section 28.
14.	Substitution of section 29.
15.	Amendment of section 35.
16.	Deletion of section 41.
17.	Substitution of section 44.
18.	Deletion of section 45.
19.	Substitution of section 46.
20.	Substitution of section 47.
21.	Amendment of section 49.
22.	Substitution of section 50.
23	Amendment of section 51

24.	Substitution of section 54.
25.	Deletion of section 55.
26.	Amendment of Section 56.
27.	Amendment of section 57.
28.	Amendment of section 58.
29.	Substitution of section 58-A
30.	Deletion of section 58-B
31.	Substitution of Section 59.
32.	Substitution of section 60.
33.	Substitution of Chapter VII and Chapter VIII.
34.	Substitution of section 104.
35.	Substitution of section 105.
36.	Substitution of section 106.
37.	Substitution of section 107.
38.	Substitution of section 108.
39.	Substitution of section 109.
40.	Substitution of section 110.
41.	Deletion of section 112.
42.	Substitution of section 113
43.	Substitution of section 114.
44.	Substitution of section 114-A.
45.	Substitution of section 115.
46.	Deletion of section 116.
47.	Deletion of section 118.
48.	Deletion of section 119.
49.	Amendment of section 120.
50.	Deletion of section 121.
51.	Substitution of section 124.
52.	Amendment of section 125.
53.	Amendment of section 126.
54.	Substitution of section 127.
55.	Amendment of section 128.
56.	Substitution of section 129.
57.	Amendment of section 130.
58.	Substitution of section 131.
59.	Deletion of section 132.

60.	Substitution of section 133.
61.	Deletion of section 136.
62.	Amendment of section 138.
63.	Deletion of section 139.
64.	Substitution of section 140.
65.	Substitution of section 141.
66.	Substitution of section 142.
67.	Substitution of section 143.
68.	Substitution of section 144.
69.	Amendment of section 145.
70.	Substitution of section 146.
71.	Amendment of section 147.
72.	Amendment of section 149.
73.	Substitution of section 150.
74.	Amendment of section 151.
75.	Substitution of section 153.
76.	Amendment of section 154-A
77.	Amendment of section 155.
78.	Amendment of section 158.
79.	Amendment of section 161.
80.	Deletion of section 162.
81.	Deletion of section 163.
82.	Amendment of section 165.
83.	Substitution of section 168.
84.	Deletion of section 169.
85.	Deletion of section 171.
86.	Deletion of section 172.
87.	Deletion of section 174.
88.	Deletion of section 176.
89.	Substitution of section 178-A.
90.	Substitution of section 181-A.
91.	Amendment of section 182.
92.	Substitution of section 183.
93.	Deletion of section 184.
94.	Deletion of Chapter XIV and saving.
95.	Substitution of section 203.

96. Ame	endment of section 210.
97. Ame	endment of section 224.
98. Dele	etion of section 225.
99. Ame	endment of section 227.
100. Ame	endment of section 229.
101. Ame	endment of section 230.
102. Subs	stitution of section 231.
103. Dele	etion of section 232.
104. Subs	stitution of section 233.
105. Inse	rtion of section 233-A.
106. Subs	stitution of section 234.
107. Ame	endment of section 239.
108. Ame	endment of section 240.
109. Amo	endment of section 243.
110. Sub	stitution of section 244.
111. Sub	stitution of section 245.
112. Amo	endment of section 246.
113. Ame	endment of section 248.
114. Sub	stitution of section 250.
115. Dele	etion of section 250-A.
116. Dele	etion of section 252.
117. Am	endment of section 253.
118. Dele	etion of section 254.
119. Del	etion of section 255.
120. Am	endment of section 257.
121. Am	endment of section 258.
122. Am	endment of Schedule I.

MADHYA PRADESH ACT NO. 23 OF 2018

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2018

[Received the assent of the Governor on the 23rd July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th July, 2018.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.
- 2. In section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1),—

Amendment of section 2.

- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely—
 - "(a) "abadi" means the area reserved from time to time in a village for the residence of the inhabitants thereof or for purposes ancillary thereto, and any other cognate variation of this expression such as "village site" or "gaonsthan" shall also be construed accordingly;";
- (ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely—
 - "(f-1) "development plan" shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No 23 of 1973);";
- (iii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(i) "holding" means a parcel of land separately assessed to land revenue and held under a tenure;";
- (iv) after clause (m), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(m-1) "land revenue" means all moneys payable to the State Government for holding land and includes premium, rent, lease money, quit rent or any other cognate variation of these expressions;";
- (v) for clause (q), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(q) "plot number" means the number assigned to a portion of land formed into or recognised as a plot number under this Code;";
- (vi) in clause (t), in sub-clause (i), the words "by an occupancy tenant to his Bhumiswami according to the provisions of section 188 or" shall be omitted;
- (vii) after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely:—
 - "(v-1) "sector" means any tract of land in urban area formed into or recognised as a sector under the provisions of this Code;
 - (v-2) "service land" means such land in a non-urban area which is given to a kotwar for the purpose of agriculture during his tenure of post;";

(viii) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:—

- "(x) "survey number" means the number assigned to a portion of land formed into or recognised as a survey number under this Code and entered in the land records under an indicative number known as the khasra number;";
- (ix) clause (y) shall be deleted;
- (x) for clause (z-3), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(z-3) "unoccupied land" means the land other than the abadi or service land, or the land held by a Bhumiswami or a Government lessee;";
- (xi) for clause (z-5), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(z-5) "village" means any tract of land in a non-urban area which, before the coming into force of this Code, was recognized or was declared as a village under the provisions of any law for the time being in force and any other tract of land in a non-urban area which is recognized as a village at any land survey or which the State Government may, by notification, declare to be a village.".

Amendment of section 4.

- 3. In section 4 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the President and members of the Board shall also sit at such other place or places as the State Government may, after consultation with the President of the Board, notify.".

Substitution of section 7.

- 4. For section 7 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "7. Jurisdiction of Board- The Board shall exercise the powers and discharge the functions conferred upon it by or under this Code or such other functions as have been conferred or may be conferred by or under any enactment upon it or as may be specified by a notification of the State Government or Central Government in that behalf."

Substitution of section 11.

- 5. For section 11 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
- "11. Revenue Officers- There shall be the following classes of the Revenue officers, namely:—

Principal Revenue Commissioner;

Commissioner;

Additional Commissioner;

Commissioner Land Records;

Additional Commissioner Land Records;

Collector;

Additional Collector;

District Survey Officer;

Sub Divisional Officer;

Deputy Survey Officer;

Assistant Collector;

Joint Collector;

Deputy Collector;

Tahsildar;

Additional Tahsildar;

Assistant Survey Officer;

Superintendent of Land Records;

Naib Tahsildar;

Assistant Superintendent of Land Records.".

6. In Section 13 of the principal Act,-

Amendment of Section 13.

- (i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely,—
 - "(2) The State Government may alter the limits of any district or sub-division or tahsil and may create new or abolish existing districts or sub-divisions or tahsils:

Provided that the State Government shall invite objections to such proposals in the prescribed Form and shall take into consideration objections received, if any.";

- (ii) sub-section (3) shall be deleted.
- 7. After section 13 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of Section 13-A.

- "13-A. Appointment of Principal Revenue Commissioner and his powers and duties—
 The State Government may, by notification, appoint a Principal Revenue Commissioner who shall exercise such powers and perform such duties conferred and imposed on him by the State Government."
- 8. For Section 19 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 19.

- "19. Appointment of Tahsildars, Additional Tahsildars and NaibTahsildars- (1) The State
 Government may appoint for each district as many persons as it thinks fit to
 be
 - (a) Tahsildar;
 - (b) Additional Tahsildar; and
 - (c) Naib Tahsildar,
- who shall exercise therein the powers and perform the duties conferred or imposed on them by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force.
- (2) The Collector may place a Tahsildar as in charge of a tahsil, who shall exercise therein the powers and perform the duties conferred or imposed on him by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force.
- (3) The Collector may place one or more Additional Tahsildars and Naib Tahsildars in a tahsil who shall exercise therein such powers and perform such duties conferred or imposed on a Tahsildar by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force, as the Collector may, by an order in writing, direct."
- 9. Section 21 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of Section 21.

10. For Section 22 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 22.

"22. Sub-Divisional Officers.—The Collector may place any Assistant Collector or Joint Collector or Deputy Collector to be in charge of one or more sub-divisions of the district who shall exercise therein the powers and perform the duties conferred or imposed on a Sub-Divisional Officer by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force."

Substitution of Section 24.

- 11. For Section 24 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "24. Conferral by State Government of powers of Revenue Officers on any public servant or local body.—The State Government may confer on any public servant or local body the powers conferred by or under this Code on any Revenue Officer:

Provided that the powers of-

- (a) Collector under sections 72, 113, 135, 165, 237, 238, 243 and 251;
- (b) Sub-Divisional Officer under sections 59, 115, 170, 170A, 170B, 234, 241, 242, 248(2-A) and 253;
- (c) Appellate authority under section 44; and
- (d) Revisional authority under section 50;

shall not be conferred on any public servant or local body.

Explanation—For the purpose of this Section, "public servant" means any person who holds an office of the State Government or any body corporate or institution established and controlled by the State Government.".

Amendment of Section 27.

12. In Section 27 of the principal Act, for the proviso, the following proviso shall be substituted namely:-

"Provided that Sub-Divisional Officer may enquire into, or hear, any case at any place within the district.".

Amendment of Section 28.

13. In Section 28 of the principal Act, for the words "All Revenue Officers, Revenue Inspectors, measurers and patwaris", the words "Any Revenue Officer, Revenue Inspector, Nagar Sarvekshak and patwari" shall be substituted.

Substitution of Section 29.

- 14. For section 29 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "29. Power to transfer cases.—(1) Whenever it appears that an order is expedient for the ends of justice, the Board may direct that any particular case be transferred from one Revenue Officer to another Revenue Officer of an equal rank.
 - (2) The Commissioner may, if he is of opinion that it is expedient for the ends of justice, order that any particular case be transferred from a Revenue Officer to another Revenue Officer of an equal rank in the same district or any other district in the same division."

Amendment of Section 35.

- 15. In section 35 of the principal Act,-
 - (i) sub-section (1) shall be deleted;
 - (ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely-
 - "(3) The party against whom any order is passed under sub-section (2) may apply within thirty days from the date of such order or knowledge of the order in case the notice or summons was not duly served, to have it set aside on the ground that he was prevented by any sufficient cause from appearing at the hearing and the Revenue Officer may, after notice to the opposite party which was present on the date on which such order was passed and after making such inquiry as he considers necessary, set aside the order passed."

16. Section 41 of the principal Act shall be deleted.

- Deletion of Section 41.
- 17. For section 44 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely,—
- Substitution of Section 44.
- "44. Appeal and appellate authorities.—(1) Save where it has been otherwise provided, an appeal shall lie from every original order of a Revenue Officer competent to pass such order under this Code or the rules made thereunder-
 - (a) if such order is passed by any Revenue Officer subordinate to the Sub-Divisional Officer—to the Sub-Divisional Officer;
 - (b) if such order is passed by any Revenue Officer subordinate to the Deputy Survey Officer—to the Deputy Survey Officer;
 - (c) if such order is passed by the Sub-Divisional Officer—to the Collector;
 - (d) if such order is passed by the Deputy Survey Officer—to the District Survey Officer;
 - (e) if such order is passed by any Assistant Collector, Joint Collector or Deputy Collector to whom the powers have been conferred under-section 24—to the Collector;
 - (f) if such order is passed by any Revenue Officer in respect of whom a direction has been issued under sub-section (3) of section 12— to such Revenue Officer as the State Government may direct;
 - (g) if such order is passed by a Collector or District Survey Officer— to the Commissioner;
 - (h) if such order is passed by the Commissioner— to the Board.
- (2) Save as otherwise provided, a second appeal shall lie against every order passed in first appeal under this Code or the rules made thereunder-
 - (a) by the Sub-Divisional Officer or the Deputy Survey Officer or the Collector or the District Survey Officer to the Commissioner;
 - (b) by the Commissioner-to the Board.
- (3) The second appeal shall lie only-
 - (a) if the original order has in the first appeal been varied or reversed otherwise than in a matter of cost; or
 - (b) on any of the following grounds and no other, namely:-
 - (i) that the order is contrary to law or, usage having the force of law; or
 - (ii) that the order has failed to determine some material issue of law, or usage having force of law; or
 - (iii) that there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Code, which may have produced error or defect in the decision of the case upon merits.

(4) An order passed in review varying or reversing any order shall be appealable in like manner as the original order."

Deletion of section 45.

18. Section 45 of the principal Act shall be deleted.

Substitution of section 46.

- 19. For Section 46 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "46. No appeal against certain orders.—Notwithstanding anything contained in Section 44,-
 - (a) no appeal shall lie from an order-
 - (i) allowing or rejecting an application for condonation of delay on the grounds specified in Section 5 of the Limitation Act, 1963 (No. 36 of 1963); or
 - (ii) rejecting an application for review; or
 - (iii) allowing or rejecting an application for stay; or
 - (iv) of an interim nature; or
 - (v) passed under the provisions of Sections 29, 30, 104, 106, 114A, 127, 146, 147, 150, 152, 161, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 220 and 243; and
 - (b) no second appeal shall lie from an order passed in first appeal against an order passed under the provisions of sub-section (1) of Section 131, Section 134, Section 173, Section 234, Section 239, Section 240, Section 241, Section 242. Section 244 and Section 248."

Substitution of Section 47.

- 20. For Section 47 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "47. Limitation of appeals.—The period of limitation for filing first or second appeal shall be forty-five days from the date of the order appealed against:
 - Provided that where an order, against which the appeal is preferred, was made before the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, the period of limitation of appeal shall be as provided in the Code prior to the said Amendment Act:
 - Provided further that where a party, other than a party against whom the order has been passed ex-parte, had no previous notice of the date on which the order was passed, limitation shall be computed from the date of the communication of such order.".

Amendment of Section 49.

21. In Section 49 of the principal Act, in sub-section (3), for first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the appellate authority shall not ordinarily remand the case for disposal to any Revenue Officer subordinate to it;".

Substitution of Section 50.

- 22. For section 50 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:-
 - "50. Revision.—(1) Subject to the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5),—
 - (a) the Board may, at any time on its own motion or on an application made by any party, call for the record of any case which has been decided or proceedings in which an order has been passed under this Code by the Commissioner;

- (b) the Commissioner may, at any time on his own motion or on an application made by any party, call for the record of any case which has been decided or proceedings in which an order has been passed under this Code by the Collector or the District Survey Officer;
- (c) the Collector or the District Survey Officer may, at any time on his own motion or on an application of any party, call for the record of any case which has been decided or proceedings in which an order has been passed under this Code by a Revenue Officer subordinate to him;

and if it appears that the subordinate Revenue Officer-

- (i) has exercised a jurisdiction not vested in him by this Code; or
- (ii) has failed to exercise a jurisdiction so vested; or
- (iii) has acted in the exercise of his jurisdiction illegally or with material irregularity,

the Board or the Commissioner or the Collector or the District Survey Officer may make such order in the case as it or he thinks fit.

- (2) No application for revision shall be entertained-
 - (a) against an order appealable under this Code;
 - (b) against any order passed in second appeal under this Code;
 - (c) against an order passed in revision;
 - (d) against an order of the Commissioner under-section 210;
 - (e) unless presented within forty-five days from the date of order or its communication to the party, whichever is later:
- Provided that where an order, against which an application for revision is being preferred, was made before the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 the period of limitation for presenting the application for revision shall be as provided in the Code prior to the said Amendment Act.
- (3) The Board or the Commissioner or Collector or the District Survey Officer shall not, under this Section, vary or reverse any order made or any order deciding an issue, in the course of proceeding, except where-
 - (a) the order, if it had been made in favour of the party applying for revision, would have finally disposed of the proceedings; or
 - (b) the order, if allowed to stand, would occasion a failure of justice or cause irreparable injury to the party against whom it was made.
- (4) A revision shall not operate as a stay of proceeding before the Revenue Officer, except where such proceeding is stayed by the Board or the Commissioner or the Collector or the District Survey Officer, as the case may be.
- (5) No order shall be varied or reversed in revision unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them of being heard.

Explanation- For the purpose of this section all Revenue Officers shall be deemed to be subordinate to the Board.".

Amendment of Section 51.

- 23. In Section 51 of the principal Act, for sub-section (1) and sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:-
 - "(1) The Board or any Revenue Officer may, either suo motu or on an application of any party interested, review any order passed by it or him, or by any predecessor-in-office and pass such order in reference thereto as it or he may think fit:

Provided that-

- (i) if the Commissioner, Collector or District Survey Officer thinks it necessary to review any order which he has not himself passed, he shall first obtain the sanction of the Board, and if an officer subordinate to the Collector or District Survey Officer proposes to review an order, whether passed by himself or his predecessor, he shall first obtain the sanction in writing of the Collector or District Survey Officer to whom he is immediate subordinate;
- (ii) no order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order;
- (iii) no order from which an appeal has been made, or which is the subject of any revision proceedings shall, so long as such appeal or proceedings are pending, be reviewed;
- (iv) no order affecting any question of right between private persons shall be reviewed except on the application of a party to the proceedings, and no application for the review of such order shall be entertained unless it is made within forty-five days from the passing of the order.
- (2) No order shall be reviewed except on the following grounds, namely: -
 - (a) discovery of new and important matter or evidence, which after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when the order was made;
 - (b) some mistake or error apparent on the face of the record; or
 - (c) any other sufficient reason.".

Substitution of Section 54.

- 24. For section 54 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
- "54. **Pending revisions.**—Notwithstanding anything contained in this Chapter, any proceedings pending in revision immediately prior to coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018,-
 - (a) if initiated on an application of a party, be heard and decided by the Board or the Revenue Officer competent to hear and decide them under sub-section (1) of section 50 as amended by the aforesaid Amendment Act and, if required for this purpose, shall be transferred to such competent Revenue Officer;
 - (b) if initiated suo motu by the Board or any Revenue Officer, shall be heard or decided by the Board or such Revenue Officer, as the case may be, as if this Amendment Act had not been passed;

- (c) if initiated by the Settlement Commissioner, shall be transferred to the Commissioner of concerned division, who shall heard and decide it;
- (d) if initiated by the Settlement Officer, shall be transferred to the District Survey Officer or the Collector, as the case may be, who shall heard and decide it.".
- 25. Section 55 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of section 55.

26. In section 56 of the principal Act, for the words "in exercise of its/his powers under this Code or any other enactment for the time being in force, as the case may be", the words "in exercise of powers under this Code" shall be substituted.

Amendment of section 56.

27. Sub-section (2) of section 57 of the principal Act shall be deleted.

Amendment of section 57.

28. In section 58 of the principal Act,-

Amendment of section 58.

- (i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: -
 - "(1) All land to whatever purpose applied and wherever situate, is liable to the payment of revenue to the State Government except such land as has been wholly or partially exempted from such liability by or under this Code or by special grant of or contract with the State Government or such land which is wholly or partially exempted from such liability by notification, issued in this behalf by the State Government."
- (ii) Sub-section (2) shall be deleted.
- 29. For section 58-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Substitution of section 58-A.

- "58-A. Exemption from payment of land revenue—Notwithstanding anything contained in this Code, no land revenue shall be payable in respect of
 - (a) any holding up to two hectares used exclusively for the purpose of agriculture;
 - (b) such other land used for non agricultural purpose as the State Government may, by notification, specify.

Explanation.- For the purpose of this section, "holding" means the sum of all lands held by a person individually and his share in the lands held by him jointly, if any, in the entire State.".

30. Section 58-B of the principal Act shall be deleted.

Deletion of section 58-B.

31. For section 59 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Substitution of section 59.

- "59. Land revenue according to purpose for which land is used—(1) The assessment of land revenue shall be made with reference to the following use of land at such rates as may be prescribed:
 - (a) for the purpose of agriculture including any improvement made thereon;
 - (b) for the purpose of dwelling houses;
 - (c) for educational purpose;
 - (d) for commercial purpose;

- (e) for industrial purpose including the purpose of mines and minerals;
- (f) for purpose other than those specified in items (a) to (e) above as may be notified by the State Government.
- (2) Where land assessed for use for any one purpose is diverted to any other purpose, the land revenue payable upon such land shall, notwithstanding that the term for which the assessment may have been fixed has not expired, be liable to assessment at the rates prescribed for the purpose to which it has been diverted.
- (3) Where the land held free from the payment of land revenue on condition of being used for any purpose is diverted to any other purpose it shall become liable to the payment of land revenue and assessed at the rates prescribed for purpose for which it has been diverted.
- (4) Where land assessed for use for any one purpose is diverted to any other purpose, and land revenue is assessed thereon under the provisions of this section, the premium on such diversion shall be payable at such rates as may be prescribed.
- (5) Whenever land assessed for one purpose is diverted to another purpose, the Bhumiswami shall compute the premium and reassessed land revenue payable and deposit the amount so computed in the manner prescribed.
- (6) The Bhumiswami shall give a written intimation of such diversion to the Sub-Divisional Officer alongwith the receipt of the deposit of the amount under subsection (5), and the land shall be deemed to have been diverted from the date of such intimation.
- (7) On the receipt of intimation under sub-section (6), the Sub-Divisional Officer shall, as soon as possible, make enquiry into the correctness of the computation made by the Bhumiswami and communicate to the Bhumiswami either confirming the computation made under sub-section (5) or informing him the correct amount of premium and land revenue payable. In case the amount deposited under sub-section (5) is less than the amount computed by the Sub-Divisional Officer, the difference shall be paid by the Bhumiswami within sixty days of receipt of such intimation:

Provided that in case the amount deposited under sub-section (5) is greater than the amount computed by the Sub-Divisional Officer, the difference shall be refunded to the Bhumiswami within sixty days.

- (8) If the Sub-Divisional Officer fails to communicate to the Bhumiswami under subsection (7) within five years from the date of intimation received under subsection (6), the arrears of re-assessed land revenue shall not be payable for a period exceeding five years.
- (9) If the Bhumiswami fails to give the intimation of diversion under sub-section (6), the Sub-Divisional Officer on his own motion or on receiving such information shall compute the premium and re-assess the land revenue payable on account of such diversion and also impose a penalty equal to fifty per centum of the total amount payable:

Provided that such re-assessed land revenue shall be payable from the actual date of diversion subject to a maximum period of five years:

Provided further that no penalty shall be imposed for one year from the date of commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018.

(10) The Bhumiswami shall divert land for only such purpose as is permissible under the law governing the use of land for the time being in force:

Provided that no action of the Bhumiswami or Sub-Divisional Officer under this section shall be construed as granting of permission to change use of land contrary to the provisions of the applicable law:

Provided further that the competent authority may take action against Bhumiswami for such diversion contrary to the provisions of the law for the time being in force irrespective of any action taken under this section.

- (11) The premium and re-assessed land revenue shall be computed at the rates prevailing on the date of intimation by the Bhumiswami under sub-section (6) or the date of passing of order by Sub-Divisional Officer under sub-section (9), as the case may be
- (12) All proceedings under this section pending before the Board or any Revenue Officer prior to commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 shall stand abated and the Sub-Divisional Officer shall impose premium and assess the land revenue on account of diversion in accordance with the provisions of this section.".
- 32. For section 60 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Substitution of section 60.

- "60. Assessment of un-assessed land—All lands on which the assessment has not been made, the assessment of land revenue shall be made by the Collector in accordance with rules made under this Code."
- 33. For Chapter VII and VIII of the principal Act, containing sections 61 to 103 (both inclusive), the following Chapter shall be substituted, namely:-

Substitution of Chapter VII and Chapter VIII.

"CHAPTER VII Land Survey

- 61. Definition of land survey—The "land survey" means—
 - (a) all or any of the following activities—
 - division of land into survey numbers, recognition of existing survey numbers, reconstitution thereof or forming new survey numbers in land used for agricultural purposes and activities incidental thereto;
 - (ii) division of land into plot numbers, recognition of existing plot numbers, reconstitution thereof or forming new plot numbers and grouping them into blocks in land used for non-agricultural purposes and activities incidental thereto;
 - (iii) grouping of the survey numbers and blocks into villages in non-urban areas and into sectors in urban areas and activities incidental thereto;
 - (b) preparation of a Field Book describing the area, current land use and other attributes of each survey number, block number or plot number, as the case may be;
 - (c) preparation or revision or correction of field map, as the case may be;
 - (d) preparation of record of rights, in order to bring the land records up to date in any local area;
 - (e) preparation of any other record, as may be prescribed.

- 62. **Appointment of Commissioner Land Records**—The State Government may appoint a Commissioner Land Records who shall, subject to the direction issued in this regard by the State Government, manage the land survey and the land records.
- 63. Appointment of Additional Commissioners Land Records and their powers and duties—(1) The State Government may appoint one or more Additional Commissioner Land Records.
- (2) An Additional Commissioner of Land Records shall exercise such powers and discharge such duties, conferred and imposed on a Commissioner Land Record by this Code or rules made there under in such cases or classes of cases, as the State Government or Commissioner Land Records may direct and while exercising such powers and discharging such duties, the Additional Commissioner Land Records shall be deemed to have been appointed as a Commissioner Land Records for the purposes of this Code or any rule made.
- 64. Notification of proposed land survey.—(1) The Commissioner Land Records may commence land survey in a tahsil area by publishing a notification in the official Gazette to that effect.
- (2) Land survey may extend to all lands in the tahsil area or part thereof as the Commissioner Land Records may direct in the notification issued under sub-section (1).
- (3) The lands notified under sub-section (1) shall be held to be under land survey from the date of said notification till the subsequent notification declaring the land survey to be closed is issued.
- 65. District Survey Officer, Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officer—(1) In respect of the lands under land survey,—
 - (a) the Collector of a district shall be the District Survey Officer;
 - (b) the Sub-Divisional Officer of a sub-division shall be the Deputy Survey Officer for his sub-division;
 - (c) the Tahsildar, Additional Tahsildar or Naib Tahsildar shall be Assistant Survey Officer within their respective jurisdiction.
 - (2) All District Survey Officers shall be subordinate to the Commissioner Land Records.
- (3) All Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officers in a district shall be subordinate to the District Survey Officer.
- (4) All Assistant Survey Officers in a sub-division shall be subordinate to the Deputy Survey Officer.
- 66. Powers of District Survey Officer, Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officer—(1) In respect of lands under land survey the powers of the Collector, the Sub-Divisional Officer or the Tahsildar under this Code shall vest in the District Survey Officer, Deputy Survey Officer or Assistant Survey Officer respectively.
- (2) The State Government may invest any Deputy Survey Officer or Assistant Survey Officer with all or any of the powers of the District Survey Officer under this Code.
- 67. Formation of survey numbers, block numbers, plot numbers and their grouping into villages in non-urban areas or into sectors in urban areas.—Subject to rules made under this Code, the District Survey Officer may—
 - (a) take measurements of the land to which land survey extends and construct such number of survey marks thereon as may be necessary;

- (b) divide such land into survey numbers, recognize existing survey numbers, reconstitute survey numbers or form new survey numbers in land used for agricultural purpose;
- (c) divide such land into block numbers, recognize existing block numbers, reconstitute block numbers or form new block numbers in land used for non agricultural purpose;
- (d) divide blocks in plot numbers, recognize existing plot numbers, reconstitute plot numbers or form new plot numbers in land used for non agricultural purpose;
- (e) group survey numbers and blocks into villages in non-urban areas and into sectors in urban areas:

 Provided that the plots of any land lying within the boundaries of a layout approved under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No 23 of 1973), shall be deemed to be plots under this Code:

Provided further that except as hereinafter provided and subject to the approved development plan of the area, if any, no survey number or plot number shall henceforth be made of an extent less than the minimum prescribed.

- 68. Power to re-number or sub-divide or amalgamate survey number, block number and plot number—
 (1) The District Survey Officer may either re-number or sub-divide survey numbers into as many sub-divisions as may be required or amalgamate one or more survey numbers into a single survey number in view of the acquisition of rights in land or for any other reason.
- (2) The District Survey Officer may either re-number or sub-divide block numbers and plot numbers into as many sub-divisions as may be required or amalgamate one or more block numbers and plot numbers into a single block number or plot number in view of the acquisition of rights in land or for any other reason:

Provided that no division or amalgamation of block number or plot number shall be permissible where such block or plot or any part thereof falls within the boundaries of layout approved under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No 23 of 1973).

- (3) The division or amalgamation of any survey number, block number or plot number and assessment thereof shall be carried out in accordance with rules made under this Code.
- (4) The District Survey Officer may modify a block by removing one or more plot numbers from a block or adding one or more plot numbers from an adjoining block.
- (5) Where a holding consists of several survey numbers and plot numbers, the District Survey Officer shall assess the land revenue payable for each survey number or plot number.
- (6) Whenever the survey numbers, block numbers or plot numbers are re-numbered, the District Survey Officer shall correct the entries in all records prepared or maintained under this Code.
- 69. Entry of survey numbers, block numbers and plot numbers and their sub-divisions in land record— The area and assessment of survey numbers and plot numbers and their sub-divisions and area of block numbers shall be entered in land records in such manner as may be prescribed.
- 70. **Determination of abadi of village.**—The District Survey Officer shall, in the case of every inhabited village, ascertain and determine, with due regard to rights in lands, the area to be reserved for the residence of the inhabitants or for purposes ancillary thereto, and such area shall be deemed to be the abadi of the village.
- 71. Power of District Survey Officer to divide or unite villages and sectors or exclude area therefrom—
 (1) The District Survey Officer may divide a village to constitute two or more villages or may unite two or more villages and constitute one village or may alter the limits of a village by including therein any area of a village in the vicinity thereof or by excluding any area comprised therein, in accordance with the rules made under this Code.
 (2) The District Survey Officer may divide a sector to constitute two or more sectors or may unite two or more sectors and constitute one sector or may alter the limits of a sector by including therein any area of a sector in

the vicinity thereof or by excluding any area comprised therein, in accordance with the rules made under this Code.

- 72. Assessment.—The District Survey Officer shall fix the assessment on each holding at such rates as may be prescribed.
- 73. All lands liable to assessment.—The District Survey Officer shall make assessment on all lands to which the survey extends whether such lands are liable to the payment of land revenue or not.
- 74. Duty of District Survey Officer to maintain maps and records.—When an area is under land survey, the duty of maintaining the maps and records of such area shall stand transferred from Collector to the District Survey Officer, who shall thereupon exercise all the powers conferred on the Collector under any of the provisions of Chapters IX and XVIII.
- 75. Power of Sub-Divisional Officer to correct errors.—The Sub-Divisional Officer may, at any time after the closure of land survey, correct any error in the area or assessment of any survey number or plot number or block number due to mistake of survey or arithmetical miscalculation:

Provided that no arrears of land revenue shall become payable by reason of such correction.

- 76. Powers provided under this Chapter to be exercised by Collector, Sub-Divisional Officer and Tahsildar in area not under land survey.—In any area not under land survey, the Collector, the Sub-Divisional Officer or the Tahsildar shall exercise the powers of District Survey Officer, Deputy Survey Officer or Assistant Survey Officer respectively provided under this Chapter within their respective jurisdiction.
- 77. **Power to make rules**—The State Government may make rules for carrying out the land survey under this Chapter.".

Substitution of section 104.

- 34. For section 104 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:--
 - "104 Formation of patwari halkas in non-urban area and formation of sectors in urban area and appointment of patwaris and Nagar Sarvekshaks..—(1) The Commissioner Land Records shall for each tahsil, arrange the villages into patwari halkas and divide each urban area into sectors and may, at any time, alter the limits of existing patwari halkas or sectors and may create new patwari halkas or sectors or abolish existing patwari halkas or sectors.
 - (2) The Collector shall appoint a patwari to each patwari halka and a Nagar Sarvekshak to each sector for maintaining correct land records and for such other duties as may be prescribed.
 - (3) Till the formation of sectors in an urban area under sub-section (1), every village, existing therein immediately before the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, shall be deemed to be a sector and relevant land records of such village shall be deemed to be land records of such sector."

Substitution of section 105.

- 35. For section 105 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—
 - "105. Formation of Revenue Inspector circles in non-urban area—The Commissioner Land Records shall arrange the patwari halkas in a tahsil into Revenue Inspector circles and may, at any time alter the limits of any circle and may create new circles or abolish existing circles."

36. For section 106 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—

Substitution of section 106.

- "106. Appointment of Revenue Inspectors in non-urban areas—The Collector may appoint in each Revenue Inspector circle a Revenue Inspector to supervise the preparation and maintenance of land records and to perform such other duties as may be prescribed."
- 37. For section 107 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 107.

- "107. Maps of villages, abadi, blocks and sectors—(1) For each village-
 - (a) a map shall be prepared showing the boundaries of survey numbers and block numbers which shall be called "village map";
 - (b) a map shall be prepared for abadi showing the area occupied by holders and the area not so occupied, giving separate plot numbers and such other particulars as may be prescribed which shall be called "abadi map";
 - (c) a map shall be prepared for diverted lands showing the area occupied by holders giving separate plot numbers and such other particulars as may be prescribed, which shall be called "block map".
- (2) For each urban area a map shall be prepared of each sector showing the area occupied by holders and area not so occupied, giving separate survey numbers, block numbers and plot numbers and such other particulars as may be prescribed, which shall be called 'sector map".
- (3) The maps under sub-section (1) and (2) shall be prepared on such scale as may be prescribed.".
 - 38. For section 108 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 108.

- "108. **Record of rights**—(1) A record of rights shall, in accordance with rules made in this behalf, be prepared and maintained for every village area and for each sector of every urban area and such record shall include following particulars:—
 - (a) the names of all Bhumiswamis together with survey numbers or plot numbers held by them and purposes for which they are being used and their area and status of irrigation in case of land used for agriculture;
 - (b) the names of all Government lessees and such classes of lessees as may be specified by the State Government together with survey numbers or plot numbers held by them and purposes for which they are being used and their area and status of irrigation in case of land used for agriculture;
 - (c) the names of all persons occupying the abadi of the village, or in urban area all persons occupying the land which was abadi of a village before the constitution of such urban area, as the case may be, along with the nature of their interest in land, plot numbers held by them and purpose for which the land is being used;
 - (d) the nature and extent of interest in land assigned or granted to any person by the State Government or by the person authorised under any enactment or direction of the State Government or the Central Government along with-
 - (i) the nature and extent of the respective interests of such persons and the conditions or liabilities, if any;
 - (ii) the land revenue or lease rent payable by such persons if any; and
 - (iii) such other particulars as may be prescribed.

(2) The record of rights mentioned in sub-section (1) shall be prepared during a land survey or whenever the State Government may, by notification, so direct.".

Substitution of section 109.

- 39. For section 109 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "109. Acquisition of rights to be reported—(1) Any person lawfully acquiring any right or interest in land shall report his acquisition of such right within six months from the date of such acquisition in the form prescribed-
 - (a) to the patwari or any person authorised by the State Government in this behalf or Tahsildar, in case of land situated in non-urban area;
 - (b) to the Nagar Sarvekshak or any person authorised by the State Government in this behalf or Tahsildar, in case of land situated in urban area:
 - Provided that when the person acquiring the right is a minor or is otherwise disqualified, his guardian or other person having charge of his property shall make the report to the patwari or nagar sarvekshak or the person authorised or the Tahsildar.
 - Explanation I. The right mentioned above does not include an easement or a charge not amounting to a mortgage of the kind specified in section 100 of the Transfer of Property Act, 1882 (No. IV of 1882).
 - **Explanation II.** A person, in whose favour a mortgage is redeemed or paid off or a lease is determined, acquires a right within the meaning of this section.
 - Explanation III. Intimation in writing required to be given under this section may be given either through a messenger or handed over in person or may be sent by registered post or by such other means as may be prescribed.
 - Explanation IV. For the purpose of this section, "otherwise disqualified" includes the "person with disability" as defined in clause (5) of section 2 of the Rights of person with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016)
- (2) When any document purporting to create, assign or extinguish any title to or any charge on land used for agricultural purposes, or in respect of which a khasra has been prepared, is registered under the Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the Registering Officer shall send intimation to the Tahsildar having jurisdiction over the area in which the land is situated in such Form and at such times as may be prescribed.
- (3) Any person whose rights, interests or liabilities are required to be or have been entered in any record or register under this Chapter, shall be bound on the requisition in writing of any Revenue Officer, Revenue Inspector, Nagar Sarvekshak or Patwari engaged in compiling or revising the record or register, to furnish or produce for his inspection, within one month from the date of such requisition, all such information or documents needed for the correct compilation or revision thereof, as may be within his knowledge or in his possession or powers. A written acknowledgement of the information furnished or document produced shall be given to the person.
- (4) Any person neglecting to make the report required by sub-section (1) or furnish the information or produce the documents required by sub-section (3) within the period specified therein shall be liable, at the discretion of the Tahsildar, to a penalty not exceeding five thousand rupees.
- (5) Any report regarding the acquisition of any right under this section received after the specified period shall be dealt with in accordance with the provisions of section 110.".

40. For section 110 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 110.

- "110. Mutation of acquisition of right in land records.- (1) The patwari or Nagar Sarvekshak or person authorised under section 109 shall enter into a register prescribed for the purpose every acquisition of right reported to him under section 109 or which comes to his notice from any other source.
- (2) The patwari or Nagar Sarvekshak or person authorised, as the case may be, shall intimate to the Tahsildar, all reports regarding acquisition of right received by him under sub-section (1) in such manner and in such Form as may be prescribed, within thirty days of the receipt thereof by him.
- (3) On receipt of intimation under section 109 or on receipt of intimation of such acquisition of right from any other source, the Tahsildar shall within fifteen days,—
 - (a) register the case in his court;
 - (b) issue a notice to all persons interested and to such other persons and authorities as may be prescribed, in such Form and manner as may be prescribed; and
 - (c) display a notice relating to the proposed mutation on the notice board of his office, and publish it in the concerned village or sector in such manner as may be prescribed;
- (4) The Tahsildar shall, after affording reasonable opportunity of being heard to the persons interested and after making such further enquiry as he may deem necessary, pass orders relating to mutation within thirty days of registration of case, in case of undisputed matter, and within five months, in case of disputed matter, and make necessary entry in the village khasra or sector khasra, as the case may be, and in other land records.
- (5) The Tahsildar shall supply a certified copy of the order passed under sub-section (4) and updated land records free of cost to the parties within thirty days, in the manner prescribed and only thereafter close the case:

Provided that if the required copies are not supplied within the period specified, the Tahsildar shall record the reasons and report to the Sub-Divisional Officer.

- (6) Notwithstanding anything contained in section 35, no case under this section shall be dismissed due to the absence of a party and shall be disposed of on merits.
- (7) All proceedings under this section shall be completed within two months in respect of undisputed case and within six months in respect of disputed case from the date of registration of the case. In case the proceedings are not disposed of within the specified period, the Tahsildar shall report the information of pending cases to the Collector in such Form and manner as may be prescribed."
 - 41. Section 112 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of section 112.

42. For section 113 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely-

Substitution of Section 113.

- "113. Correction of errors in record of rights- The Collector may, at any time, correct or cause to be corrected any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record-of-rights prepared under section 108.".
- 43. For section 114 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:"114. Land records- (1) Following land records shall be prepared for every village, namely:-

Substitution of section 114.

- (a) village map, abadi map and block map under section 107;
- (b) record of rights under section 108;
- (c) village khasra or village field book in such Form as may be prescribed;
- (d) Bhoo-Adhikar Pustika under section 114-A;
- (e) (i) details of all unoccupied land under section 233;
 - (ii) Nistar Patrak under section 234;
 - (iii) Wajib-ul-arz, if any, under section 242;
- (f) details of diverted land; and
- (g) any other record as may be prescribed.
- (2) Following land records shall be prepared for each sector in every urban area, namely:—
 - (a) sector map under section 107;
 - (b) record of rights under section 108;
 - (c) sector khasra or sector field book in such Form as may be prescribed;
 - (d) Bhoo-Adhikar Pustika under section 114-A;
 - (e) (i) details of all unoccupied land under section 233;
 - (ii)land reserved for public purposes under section 233-A;
 - (f) details of diverted land; and
 - (g) any other record as may be prescribed.".

Substitution of sections 114-A.

- 44. For Section 114-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "114-A. Bhoo-Adhikar Pustika.—(1) The Tashildar may provide to every Bhumiswami whose name is entered in the khasara prepared under section 114 a Bhoo-Adhikar Pustika in respect of his all holdings in the village or sector, as the case may be, which shall be provided to him in such Form and on payment of such fee as may be prescribed.
- (2) The Bhoo-Adhikar Pustika shall consist of two parts bound as one book, which shall contain such particulars as may be prescribed.
- (3) A Tahsildar may, on his own motion or on application of the Bhumiswami, after making such enquiry as he deems fit, correct any wrong or incorrect entry in Bhoo Adhikar Pustika.".

Substitution of sections 115.

- 45. For section 115 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "115. Correction of wrong or incorrect entry in land record—(1) A Sub-Divisional Officer may, on his own motion or on application of an aggrieved person, after making such enquiry as he deems fit, correct any wrong or incorrect entry including an unauthorised entry in the land records prepared under section 114 other than Bhoo-Adhikar Pustika and record of rights, and such corrections shall be authenticated by him:

Provided that no action shall be initiated for correction of any entry pertaining to a period prior to five years without the sanction in writing of the Collector.

- (2) No order shall be passed under sub-section (1) without-
 - (a) getting a written report from the Tahsildar concerned; and
 - (b) giving an opportunity of hearing to all parties interested:

Provided that where interest of Government is involved, the Sub-Divisional Officer shall submit the case to the Collector.

- (3) On receipt of a case under sub-section (2), the Collector shall make such enquiry and pass such order as he deems fit.".
 - 46. Section 116 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of sections 116.

47. Section 118 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of sections 118.

48. Section 119 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of sections 119.

49. In section 120 of the principal Act, for the word "Measurer", the words "Nagar Sarvekshak" shall be substituted.

Amendment of sections 120.

50. Section 121 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of sections 121.

51. For Section 124 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Substitution of section 124.

- "124 Construction of boundary marks of villages, sectors, and survey numbers or plot numbers- (1) Boundaries of all villages and sectors shall be fixed and demarcated by permanent boundary marks.
- (2) The State Government may, in respect of any village or sector, by notification, order that the boundaries of all survey numbers, block numbers or plot numbers of the village or sector or part thereof shall also be fixed and demarcated by boundary marks.
- (3) Such boundary marks shall, subject to the provisions hereinafter contained, be of such specification and shall be constructed and maintained in such manner as may be prescribed.
- (4) Every holder of land shall be responsible for the maintenance and repair of the permanent boundary marks erected thereon.".
- 52. In section 125 of the principal Act, in the marginal heading and provision, for the words "villages, survey numbers and plot numbers", the words "villages, sectors, survey numbers, block numbers and plot numbers" shall be substituted.

Amendment of section 125.

53. In section 126 of the principal Act,-

Amendment of section 126.

- (i) in sub-section (1), for the words "summarily eject", the words "summarily eject in a manner prescribed" shall be substituted;
- (ii) sub-sections (2) and (3) shall be deleted.
- 54. For section 127 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 127.

- "127. **Demarcation and maintenance of boundary lines**—(1) Every holder of land adjoining a village road or sector road or unoccupied land or land reserved for community purposes shall, at his own cost and in the manner prescribed—
 - (a) affix the boundary marks between his land and village road or sector road or unoccupied land or land reserved for community purposes adjoining it, and
 - (b) repair and renew such boundary marks from time to time.

(2) If the holder fails to affix the boundary marks or repair or renew the boundary marks as required by sub-section (1), the Tahsildar may, after such notice, as he deems fit, cause the boundary marks to be affixed or the boundary marks to be repaired or renewed and may recover the cost incurred as an arrear of land revenue.

Explanation—For the purpose of this section, "Village road or sector road" means a road as such which bears an indicative survey number or plot number.".

Amendment of section 128.

55. In section 128 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "After the end of November in each year the patel of the village", the words "The Patwari or Nagar Sarvekshak" shall be substituted.

Substitution of section 129.

- 56. For section 129 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "129. Demarcation of boundaries of survey number or sub-division of survey number or block number or plot number- (1) The Tahsildar may, on application of a party depute a Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak to demarcate the boundaries of a survey number or of a sub-division of survey number or of a block number or of a plot number and construct boundary marks thereon.
 - (2) The Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak so deputed shall, after giving notice to parties interested including the neighbouring land holders, demarcate the boundaries of a survey number or of a sub-division of survey number or of a block number or of a plot number, construct boundary marks thereon and submit a demarcation report to the Tahsildar in such manner as may be prescribed. The demarcation report shall also include the particulars of the possession, if any, of any person other than the Bhumiswami on the land demarcated.
 - (3) For carrying out the demarcation the Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak may take the assistance of such agency and in such manner as may be prescribed.
 - (4) On the receipt of the demarcation report, the Tahsildar may, after giving opportunity of hearing to the parties interested including the neighbouring land holders, confirm the demarcation report or may pass such order as he thinks fit.
 - (5) A party aggrieved by the confirmation of demarcation report under sub-section (4), may apply to the Sub-Divisional Officer to set it aside on any of the following grounds-
 - (a) that he was not given notice required under sub-section (2) or opportunity of hearing under sub-section (4); or
 - (b) any other sufficient ground:
 - Provided that such application shall not be entertained after the expiry of forty-five days from the date of confirmation the demarcation report by the Tahsildar or the date of knowledge, whichever is later.
 - (6) The Sub-Divisional Officer may, if he admits the application made under subsection (5), after giving opportunity of hearing to the parties interested including the neighbouring land holders and making such enquiries as he may think fit, either confirm the demarcation report submitted under sub-section (2) or depute a team consisting of such persons as may be prescribed to carry out the demarcation once again.

- (7) The team deputed under sub-section (6) shall, after giving notice to parties interested including the neighbouring land holders, demarcate the boundaries of a survey number or of a sub-division of survey number or of a block number or of a plot number, construct boundary marks thereon and submit report to the Sub-Divisional Officer in such manner as may be prescribed and the Sub-Divisional Officer may pass such orders on it as he thinks fit.
- (8) Notwithstanding anything contained in sections 44 and 50, no appeal or application for revision shall lie against any order passed or proceedings taken under this section.
- (9) The State Government may make rules for regulating the procedure to be followed by the Tahsildar in demarcating the boundaries of a survey number or of a subdivision of survey number or of a block number or of a plot number prescribing the nature of the boundary marks to be used, and authorizing the levy of fees from the holders of land in demarcated survey number or sub-division or block number or plot number."
- 57. In section 130 of the principal Act, for the words "one thousand", the words "five thousand" shall be substituted and the words "and of rewarding the informant, if any" shall be omitted.

Amendment of section 130.

58. For section 131 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 131.

- "131. Rights of way and other private easements—(1) In the event of a dispute arising as to the route by which a cultivator shall have access to his fields or to the unoccupied lands or pasture lands of the village, otherwise than by the recognised roads, paths or common land, including those road and paths recorded in the village Wajib-ul-arz prepared under section 242 or as to the source from or course by which he may avail himself of water or as to the course by which he may drain water from his fields, a Tahsildar may, after local enquiry, decide the matter with reference to the previous custom in each case and with due regard to the conveniences of all the parties concerned.
- (2) The Tahsildar may, at any stage of the enquiry, pass an interim order to grant immediate relief in respect of any matter under dispute in sub-section (1) if he is of the opinion that grant of such relief is necessary in the facts and circumstances of the case:

Provided that such interim order shall stand vacated on the expiry of ninety days from the date of the order unless vacated earlier.".

59. Section 132 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of section 132.

- 60. For section 133 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
- Substitution of section 133.
- "133. Removal of obstruction (1) If a Tahsildar finds that any encroachment or obstruction impedes the free use of a recognised road or path including those roads and paths recorded in the village Wajib-ul-arz or common land of a village or impedes the road or water course or source of water or drainage of water which has been the subject of a decision under section 131, he may order the person responsible for such encroachment or obstacle to remove it.
- (2) If such person fails to comply with the order passed under sub-section (1), the Tahsildar may cause the encroachment or obstacle to be removed and may recover from such person the cost of removal thereof and such person shall be liable, under the written order of the Tahsildar stating the facts and circumstances of the case, to a penalty which may extend to ten thousand rupees.

- (3) If any person fails to remove the encroachment or obstruction for more than seven days after the date of order of removal thereof under sub-section (1), then without prejudice to the penalty that may be imposed under sub-section (2), the Sub-Divisional Officer shall cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be confined in a civil prison for a period of fifteen days in case of first order of removal of encroachment or obstruction and six months in case of second or subsequent order of removal of encroachment or obstruction:
- Provided that no action under this sub-section shall be taken unless a notice is issued calling upon such person to appear before the Sub-Divisional Officer on a day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison:
- Provided further that the Sub-Divisional Officer may order the release of such person from detention before the expiry of the period mentioned in the warrant if he is satisfied that the encroachment or obstruction has been removed:

Provided also that no woman shall be arrested or detained under this section .".

Deletion of section 136.

61. Section 136 of the principal Act shall be deleted.

Amendment of section 138.

62. In section 138 of the principal Act, in sub-section (1), the word "primarily" shall be omitted.

Deletion of section 139.

63. Section 139 of the principal Act shall be deleted.

Substitution of section 140.

- 64. For section 140 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "140. Dates on which land revenue falls due and payable- (1) The land revenue payable on account of a year shall fall due on the first day of April of that year and shall be paid up to the last day of June of that year, in such manner, to such person and at such places as may be prescribed:
 - Provided that the dues of the land revenue payable at the time of the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 shall be paid before the 1st April, 2019.
 - (2) A person may, at his option, pay up to ten years land revenue in advance:

Provided that no rebate shall be granted on such advance payment:

Provided further that if the land revenue is subsequently enhanced the difference amount shall be payable.".

Substitution of section 141.

- 65. For section 141 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
- "141. Definition of "arrear" and "defaulter"- Any land revenue due and not paid till the end of period as specified in section 140 becomes therefrom an arrear, and the persons responsible for it become defaulters.".

Substitution of section 142.

- 66. For section 142 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "142. Person receiving land revenue bound to give receipt- Every person who receives a payment on account of land revenue or on account of any sum of money recoverable as an arrear of land revenue shall grant a receipt to the payee for such sum and in such Form as may be prescribed.".

67. For section 143 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely: —

Substitution of section 143.

- "143. Penal interest on delayed payment of land revenue- If land revenue is not paid up to the end of the period as specified in section 140, simple interest shall be payable on the arrear thereafter till the date of payment at the rate of twelve per centum per annum for first twelve months and thereafter at the rate of fifteen per centum per annum:
- Provided that no such interest shall be payable for delayed payment, where any payment of land revenue has been suspended by the order of the Government.".
- 68. For section 144 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely: —

Substitution of section 144.

- "144. Remission or suspension of land revenue on failure of crops- The State Government may, by notification stating the reasons, grant remission or suspension of land revenue in years in which crops have failed in any area or in which crops could not be grown in any area in consequence of any order made under any law by a competent authority."
- 69. In section 145 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "by the Collector or by the Tahsildar", the words "by the Tahsildar" shall be substituted.

Amendment of section 145.

70. For section 146 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely: —

Substitution of section 146.

- "146. Notice of demand—(1) A Tahsildar shall cause a notice of demand to be served on any defaulter before the issue of any process under section 147 for the recovery of an arrear.
- (2) Any defaulter may apply to the Tahsildar that nothing is due or that the amount due is less than the amount for which the notice of demand has been served and the Tahsildar shall decide the objection so raised and only thereafter proceed to issue any process under section 147, if required."
- 71. Section 147 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and-

Amendment of section 147

- (i) in sub-section (1) as so renumbered,—
 - (a) the words "or Gram Sabha" occurring in the opening paragraph shall be omitted;
 - (b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(c) by attachment and sale of any other immovable property wherever situate belonging to the defaulter:";
- (ii) after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-sections shall be added, namely—
- "(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Tahsildar may recover the arrear of land revenue by attaching any financial asset including bank account or locker, wherever situate, of the defaulter. The attachment of financial assets of the defaulter shall, so far as possible be made by serving a garnishee order on the incharge of financial assets in the manner laid down in Order 21 contained in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908). In case of a locker hired by the defaulter, the same shall be sealed in the presence of such incharge,

who shall thereafter await further orders of the Tahsildar regarding preparation of inventory of its contents and their ultimate disposal.

(3) The Sub-Divisional Officer may cause any person committing default in payment of an arrear of land revenue exceeding rupees fifty lakh to be arrested and shall send him with a warrant to be confined in a civil prison for a period not exceeding fifteen days unless the arrears are sooner paid:

Provided that no action under this sub-section shall be taken unless a notice is issued calling upon such person to appear before the Sub-Divisional Officer on a day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison.

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no person shall be arrested or confined in a civil prison for an arrear of land revenue, where and for so long as such person—
 - (a) is a minor, or a person mentally ill or mentally retarded; and
 - (b) is exempted under sections 133, 135 or 135-A of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908).
 - (5) The Sub-Divisional Officer issuing the arrest warrant may withdraw such warrant if the defaulter pays or undertakes to pay the whole or substantial portion of the arrears and furnishes adequate security therefor.".

Amendment of section 149.

72.In section 149 of the principal Act, the words and brackets "clauses (a) and (c) of" shall be omitted.

Substitution of section 150.

- 73. For section 150 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "150. Payment before property is knocked down at a sale and thereupon proceeding to be stayed. If proceedings are taken under this Chapter against any person for the recovery of an arrear of land revenue, he may, at any time before the property is knocked down at a sale, pay the amount claimed and thereupon the proceedings shall be closed."

Amendment of section 151.

74. In section 151 of the principal Act, in sub-section (2) for the words, bracket, letter and figure "clause (c) of section 147", the words, brackets, letter and figures "clause (c) of sub-section (1) of section 147" shall be substituted.

Substitution of section 153.

- 75. For section 153 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "153. Purchaser's title.- Where immovable property is sold under the provisions of this Chapter and such sale has become absolute, the property shall be deemed to have vested in the purchaser from the time when full money as specified in the letter of sale is deposited by the purchaser.".

Amendment of section 154-A.

- 76. In section 154-A of the principal Act, in sub-section (1),—
- (i) for the word and figure "section 147", the words, bracket and figures "sub-section (1) of section 147" shall be substituted;
- (ii) the first proviso shall be deleted;
- (iii) in the second proviso, the word "further" shall be omitted.

77. In section 155 of the principal Act, in proviso to clause (g), for full stop, semicolon shall be substituted and thereafter the following clause shall be added, namely:—

Amendment of section 155.

- "(h) all moneys becoming payable to such entity owned and controlled by the State Government as may be notified by the State Government in this behalf:
- Provided that no action shall be taken on application for recovery of a sum specified in this clause unless such application is accompanied by a certificate signed by the chief executive, by whichever name called, of the said entity that the said sum should be recovered as an arrear of land revenue."
- 78. In section 158 of the principal Act, in sub-section (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

Amendment of section 158.

- "Provided that no such person shall transfer such land within a period of ten years from the date of lease or allotment and thereafter may transfer such land with the permission obtained under sub-section (7-b) of section 165.".
- 79. In section 161 of the principal Act, in the marginal heading and in sub-section (1), the words 'during the currency of settlement" shall be omitted.

Amendment of section 161.

80. Section 162 of the principal Act shall be deleted.

Deletion section 162.

81. Section 163 of the principal Act shall be deleted.

Deletion section 163.

82. In section 165 of the principal Act, in sub-section (4), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

Amendment of section 165.

- "Provided further that in case of the transfer of land under sub-clause (a) of clause (i) of the preceding proviso for industrial purpose, the land shall be diverted under section 59 prior to such transfer.".
- 83. For section 168 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 168.

- "168. Leases- (1) A Bhumiswami may lease any land comprised in his holding which has been assessed for the purpose of agriculture under section 59, for any period not exceeding five years at a time.
- (2) The lessee shall hold the land on such terms and conditions as may be agreed upon between him and the Bhumiswami.
- (3) Tahsildar on the application of the Bhumiswami on the ground of breach of any material term or condition of the lease or the lease ceasing to be in force may order the lessee to hand over possession of the land to the Bhumiswami.
- (4) If a lessee does not hand over the possession of the land to the Bhumiswami on the expiry of the lease or within seven days from the date of the order passed by the Tahsildar under sub-section (3), the Bhumiswami shall be deemed to have been improperly dispossessed from his land by the lessee and shall be entitled to relief under section 250.

Explanation- For the purposes of this section—

(a) "lease" means a transfer of a right to enjoy any land, made for a certain time, expressed or implied in consideration of a price paid or promised or of money or any other thing of value to be given periodically to the transferor by the transferee who accepts the transfer on such terms,

- (b) any arrangement whereby a person cultivates any land of a Bhumiswami on condition of his giving a specified share of the produce of the land to the Bhumiswami shall be deemed to be a lease;
- (c) any lease given under sub-section (1) for a period exceeding five years shall be deemed to have been given for a period of five years;
- (d) the grant of a right merely to cut grass or to graze cattle or to grow "singhara" or to propagate or collect lac, or to pluck or collect tendu leaves shall not be deemed to be a lease of the land.".

Deletion of section 169.

84. Section 169 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of section 171.

85. Section 171 of the principal Act shall be deleted.

Deletion section 172.

86. Section 172 of the principal Act shall be deleted.

Deletion section 174.

of

87. Section 174 of the principal Act shall be deleted.

Deletion section 176.

88. Section 176 of the principal Act shall be deleted.

Substitution of section 178-A.

89. For section 178-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely: —

- "178-A. Partition of land in life time of Bhumiswami- (1) If any Bhumiswami wishes to partition his holding assessed for purpose of agriculture under section 59 or any part thereof amongst his legal heirs during his life time, he may apply for partition of such holding or part thereof to the Tahsildar.
- (2) The Tahsildar may after hearing the legal heirs divide the holding or part thereof and apportion the assessment in accordance with the rules made under this Code.".

Substitution of section 181-A.

- 90. For Section 181-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "181-A. Person having Free hold right shall be Bhumiswami- Every person, who holds land in free hold right immediately prior to the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, shall be the Bhumiswami of such land."

Amendment of section 182.

91. In section 182 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "a Revenue Officer", the words "the Collector" shall be substituted.

Substitution of section 183.

- 92. For section 183 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "183. Service land- (1) Any person holding land on the condition of rendering service as a Kotwar shall cease to be entitled to such land if he diverts such land to non-agricultural purposes.
 - (2) Any right of a Kotwar in the service land shall not be transferred nor be transferable by way of sale, gift, inortgage, sub-lease or otherwise except by a sub-lease for a period not exceeding one year.
 - (3) If a Kotwar dies, resigns or is lawfully dismissed, the service land shall pass to his successor-in-office.

- (4) The right of a Kotwar in such land shall not be attached or sold in execution of a decree nor shall a receiver be appointed to manage such land under section 51 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No.5 of 1908).
- (5) If a Kotwar contravenes or attempt to contravene the provisions of sub-section (1) and (2), without prejudice to any action that may be taken against him under the provisions of this Code or any other law, such service land may be taken back from him by the order of the Tahsildar and the Kotwar or any other person who unauthorisedly continue to remain in possession of the land may be ejected under section 248.
- (6) The service lands situated—
- (a) in an urban area;
- (b) in such area for which development plan has been approved; or
- (c) in such area beyond the outer limit of urban area, as notified by the State Government,

shall cease to be service land from the date as notified by State Government and the Tahsildar shall cause necessary changes in the land records.".

93. Section 184 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of section 184.

94. Chapter XIV of the principal Act regarding Occupancy Tenants, containing sections 185 to 202 (both inclusive) shall be deleted:

Deletion of Chapter XIV and saving.

- Notwithstanding the deletion of the said chapter, any case or proceeding regarding occupancy tenant pending before the Board or any Revenue Officer or any authority before the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 shall be heard and decided by the Board or such Revenue Officer or authority, as if the said Amendment Act had not been passed."
- 95. For section 203 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Substitution of section 203.

- "203. Alluvion and diluvion- (1) Alluvial land formed on any bank shall vest in the State Government but the Bhumiswami, if any, of the land adjoining such bank shall be entitled to the use of the alluvial land so added to his holding free from the payment of land revenue till the land survey is undertaken, unless the area added to his holding exceeds half hectare.
- Where any holding is diminished in area by diluvion to an extent greater than half hectare, the land revenue payable on such holding shall be reduced.".
- 96. In Section 210 of the principal Act, for the words "Settlement Commissioner" the word 'Commissioner" shall be substituted.

Amendment of section 210.

97. In section 224 of the principal Act, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of section 224.

"(a) to collect land revenue and other related taxes and cesses payable through him and such other government dues ordered to be collected through him after deducting the collection charges, as may be determined by the State Government time to time, and pay into the Government treasury;".

Deletion section 225.

- of 98. Section 225 of the principal Act shall be deleted.
- Amendment of section 227.
- 99. In section 227 of the principal Act, the word and figure "or 225" shall be deleted.

Amendment of section 229.

- 100. In section 229 of the principal Act, the word and figure "constituted in accordance with the provisions of section 232" shall be omitted.
- Amendment of section 230.
- 101. In section 230 of the principal Act, the proviso to sub-section (1) shall be deleted.

Substitution of section 231.

- 102. For section 231 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:
 - "231. Remuneration of kotwars- The State Government may, by general order, subject to such restrictions, terms and conditions as may be mentioned therein, from time to time, fix the norms for providing service land or remuneration or both to Kotwars for their services."

Deletion of section 232.

103. In Chapter XVII of the principal Act, sub-heading "C- Gram Sabha" and section 232 shall be deleted.

Substitution of section 233.

- 104. For section 233 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "233. Record of unoccupied land- A record of all unoccupied land shall be prepared for every village and urban area in accordance with rules made in this behalf.".

Insertion of section 233-A.

- 105. After section 233 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
- "233-A. Land to be set apart for public purposes in urban area- The Collector may, in accordance with the directions issued by the State Government in this behalf, from time to time,—
 - (a) set apart unoccupied lands in an urban area for public purposes;
 - (b) change the public purpose for which any such land is set apart; or
 - (c) rescind the action taken under clause (a) in respect of any such land:

Provided that no land shall be set apart for public purposes under this section which is inconsistent with the approved development plan.".

Substitution of Section 234.

- 106. For section 234 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
- "234. **Preparation of Nistar Patrak-** The Sub-Divisional Officer shall, in accordance with the provisions of this Code and the rules made thereunder, prepare a Nistar Patrak for every village embodying a scheme of management of all unoccupied land in the village and all matters incidental thereto and more particularly matters specified in section 235.".

Amendment of section 239

- 107. In section 239 of the principal Act,
 - (i) sub-sections (2),(3) and (4) shall be deleted;

- (ii) for sub-sections (5) and (6), the following sub-sections shall be substituted, namely:—
 - "(5) If any of the terms and conditions of tree planting permit or tree patta granted under this section prior to the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 is breached, the Tahsildar may, after giving reasonable opportunity of being heard to the holder thereof, cancel the tree planting permit or tree patta and if such person unauthorisedly continues to remain in possession of the unoccupied land the Tahsildar shall proceed to take action against him under section 248.
 - (6) The unoccupied land on which any tree planting permit or tree patta has been given prior to the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 may be used for any public purpose by the order of the Collector. If any interest of the holder of such tree planting permit or tree patta is adversely affected due to such use, the holder shall be entitled for such compensation which shall be calculated in such manner as may be prescribed."

108. In Section 240 of the principal Act,---

Amendment of section 240.

- (i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—
 - "Prohibition of cutting of certain trees in villages";
- (ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(1) The State Government may by rules made in this behalf, prohibit or regulate cutting of trees in villages standing on the land belonging to Bhumiswami or State Government, if it is satisfied that such prohibition or regulation is in the public interest or required for preventing erosion of soil.".

109. In section 243 of the principal Act, in sub-section (3), for the words, figures and bracket "The Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894)", the words, figures and bracket "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)" shall be substituted.

Amendment of section 243.

110. For section 244 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 244.

- "244. Allotment of abadi sites Subject to rules made in this behalf, the Tahsildar shall allot abadi sites on lease in the abadi area.".
- 111. For section 245 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 245.

- "245.Rights to hold house site free of land revenue-Any building site of reasonable dimensions in the abadi, which is held by a kotwar or by a person who holds land or who works as an agricultural artisan or an agricultural labourer in such village or in a village usually cultivated from such village, as on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, shall not be liable to the payment of land revenue"."
- 112. For section 246 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"246. Rights of persons holding house site in abadi- Every person who lawfully holds any land as a house site in the abadi immediately prior to coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, shall be a Bhumiswami.".

Amendment of section 246.

Amendment of section 248.

113. In section 248 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "to pay the rent of the land for the period of unauthorised occupation at twice the rate admissible for such land in locality and to pay fine with may extend to twenty per centum of the market value of such encroached land", the words "to a fine with may extend to one lakh rupees" shall be substituted.

Substitution of section 250.

114. For section 250 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"250. Reinstatement of Bhumiswami improperly dispossessed- (1) The Tahsildar shall,-

- (a) on application of a Bhumiswami or his successor-in-interest who has been improperly dispossessed, issue a show cause notice to the person occupying Bhumiswami's land to explain the grounds of his possession and make such enquiry as he thinks fit; or
- (b) on coming to know that a Bhumiswami has been improperly dispossessed, on his own motion start proceedings under clause (a).
- (2) If after the enquiry the Tahsildar finds that the Bhumiswami has been improperly dispossessed, he shall order the restoration of the possession to the Bhumiswami and also put him in possession of the land.
- (3) The Tahsildar may, at any stage of the enquiry, pass an interim order to the person occupying the land to hand-over its possession to the Bhumiswami, if he finds that the Bhumiswami was dispossessed by opposite party within six months prior to the submission of the application or commencement of suo motu proceedings under this section.
- (4) The person against whom an interim order has been passed under sub-seciton (3) may be required by the Tahsildar to execute a bond for such sum as the Tahsildar may deem fit for abstaining from taking possession of land until the final order is passed by the Tahsildar and if the person executing a bond is found to have entered into or taken possession of the land in contravention of the bond, the Tahsildar may forfeit the bond in whole or in part and may recover such amount as an arrear of land revenue.
- (5) Where the Tahsildar orders restoration of possession of land to the Bhumiswami under sub-section (2), the Tahsildar shall also award compensation to be paid to the Bhumiswami by the opposite party for the period of his unauthorised possession and such compensation shall be calculated at the pro rata rate of ten thousand rupees per hectare per year. The compensation awarded under this section shall be recoverable as an arrear of land revenue.
- (6) When an order has been passed under sub-section (2) for the restoration of possession of land to the Bhumiswami, the Tahsildar may require the opposite party to execute a bond for such sum as the Tahsildar may deem fit for abstaining from taking possession of the land in contravention of the order.
- (7) Where an order has been passed under sub-section (2) for the restoration of the possession of land to the Bhumiswami, the opposite party shall also be liable to fine which may extend to fifty thousand rupees.
- (8) If any person continues in unauthorised occupation or possession of land for more than seven days after the date of order for restoration of possession under subsection (2) or sub-section (3), then without prejudice to the compensation payable under sub-section (5) or the fine under sub-section (7), the Sub-Divisional Officer shall cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be

confined in a civil prison for a period of fifteen days in case of first order for restoration of possession and shall cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be confined in such prison for a period of three months in case of second or subsequent orders for restoration of the possession to such Bhumiswami:

Provided that no action under this section shall be taken unless a notice is issued calling upon such person to appear before the Sub-Divisional Officer on a day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison:

Provided further that the Sub-Divisional Officer may order the release of such person from detention before the expiry of the period mentioned in the warrant if he is satisfied that the unauthorized possession has been vacated.

Explanation I.- For the purpose of this section, the Bhumiswami includes government lessee.

Explanation II.- For the purpose of this Section "Bhumiswami improperly dispossessed" means a Bhumiswami who is dispossessed of his land otherwise than in due course of law or if any person continues unauthorisedly in possession of land of the Bhumiswami to the use of which such person has ceased to be entitled.".

115. Section 250A of the principal Act shall be deleted.

Deletion of section 250-A.

116. Section 252 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of section 252.

117. In section 253 of the principal Act, sub-section (2) shall be deleted.

Amendment of section 253.

118. Section 254 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of section 254.

119. Section 255 of the principal Act shall be deleted.

Deletion section 255.

120. In section 257 of the principal Act,-

Amendment of section 257.

- (i) clauses (n) (o), (p), (q), (r), (s), (t) and (u) shall be deleted;
- (ii) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(x) any decision regarding reinstatement of a Bhumiswami improperly dispossessed and confinement in civil prison under section 250;";
 - (iii) clause (x-i) shall be deleted;
 - (iv) clause (z-1) shall be deleted.

Amendment of section 258.

- 121. In section 258 of the principal Act,—
- (i) in sub-section (2),—
- (a) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(i-a) prescription of Form for publishing proposal under section 13(2); ";

- (b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(ii) the prescription of the duties of Superintendents of Land Records and Assistant Superintendents of Land Records under section 20(2);";
 - (c) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(iii) rates for assessment, imposition of premium and assessment and reassessment of land revenue and manner for intimation of diversion under section 59;";
 - (d) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:—
 - " (iv-a) prescription of other record under section 61(e);
 - (iv-b) powers to be exercised and duties shall be discharged under section 63 (2);";
- (e) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(v) formation of survey numbers, block numbers, plot numbers and their grouping into villages in non-urban areas or into sectors in urban areas under section 67;
 - (v-a) division or amalgamation of any survey number, block number, plot number and assessment thereof under sub-section (3) of section 68;";
- (f) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(vi) entry of survey numbers, block numbers and plot numbers and their sub-divisions in land record under section 69;";
- (g) for clause (vii) the following clause shall be substituted, namely:—
- "(vii) division and alteration of village or sector by dividing or uniting the villages or sectors under section 71;";
- (h) for clause (viii), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(viii) rates of fixation of assessment on holding under section 72;";
- (i) clauses (ix), (x) and (xi) shall be deleted;
- (i) for clause (xii), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(xii) the regulation of the conduct of land survey under section 77;";
- (k) clauses (xv), (xvi), (xvii) and (xviii) shall be deleted;
- (1) for clause (xix), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(xix) prescription of other duties of patwaris and Nagar Sarvekshaks under section 104 (2);";
- (m) for clause (xxi), the following clause shall be substituted, namely:—
 "(xxi) prescription of other particulars and scale of map under section 107;";
- (n) for clause (xxiii), the following clause shall be substituted, namely:—
 "(xxiii) prescription of Forms of, and manner for-
 - (a) reporting of acquisition of right, intimation;

- (b) pre-mutation sketch, if any;
- (c) acknowledgement,
- (d) registers,
- (e) writing, intimation or displaying of notice;
- (f) supply of copy;
- (g) information of pending cases; and
- (h) prescription of fees,

under sections 109, and 110;";

- (o) clause (xxiv) shall be deleted;
- (p) for clause (xxv), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xxv) preparation and prescription of land records under section 114;";

- (q) after clause (xxv), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(xxv-a) prescription of fee on the payment of which Bhoo Adhikar Pustika shall be provided and details of particulars entered into under section 114-A;";
 - (r) for clause (xxviii), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(xxviii) specification of, and manner of, construction and maintenance of boundary marks of villages, sectors and survey numbers or plot numbers under section 124;";
 - (s) for clause (xxix), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(xxix) the manner of demarcating boundary marks between a village road, village waste or land reserved for community purposes and the land adjoining it and the manner in which they shall be kept in repair and renewed under section 127;";
 - (t) for clause (xxxi), the following clause shall be substituted, namely-
 - "(xxxi) manner, persons to whom and the places where, the land revenue shall be paid under section 140;";
 - (u) in clause (xxxvi), the words "during the currency of settlement" shall be omitted;
 - (v) clause (xxxvii) shall be deleted;
 - (w) clause (xli) shall be deleted;
 - (x) clause (xliii) shall be deleted;
 - (y) after clause (xliv), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(xliv-a) regulation of partition in life time of a Bhumswami and apportionment of assessment under section 178-A;";
 - (z) clauses (xlvii) to (li) shall be deleted;
 - (z-a) clause (lvi) shall be deleted;
 - (z-b) after clause (lvii) the following clause shall be inserted, namely:-

"(lvii-a) prescription of the record to be maintained under section 233-A;";

- (z-c) for clause (lx), the following clause shall be substituted, namely-
- "(lx) manner for calculation of compensation under section 239 (6);";
- (z-d) after clause (lxv), the following clause shall be inserted, namely—
- "(lxv-a) for the purpose of carrying into effect the provisions of section 250;";
- (z-e) clause (lxvii) shall be deleted;
- (ii) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely:—
 - "(2A) The State Government may, from time to time, make rules consistent with the provisions of this Code regulating the practice and procedure of the Board and the procedure to be followed by other Revenue Courts and may by such rules annul, alter or add to all or any of the rules in Schedule I.
 - (2B) In particular and without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (2A), such rules may provide for all or any of the following matters, namely,—
 - (a) the service of summons, notices and other processes by post or in any other manner either generally or in any specified areas, and the proof of such service:
 - (b) the regulation of power of Revenue Officers to summon parties and witnesses and the grant of expenses to witnesses;
 - (c) the regulation of recognised agents with regard to appearances, applications and acts done by them in proceedings under this Code;
 - (d) procedure to be observed in effecting attachment of movable and immovable properties;
 - (e) procedure for publishing, conducting, setting aside and confirming sales and all ancillary matters connected with such proceedings;
 - (f) the maintenance and custody, while under attachment, of live- stock and other movable property, the fees payable for such maintenance and custody, the sale of such live-stock and property and the proceeds of such sale;
 - (g) consolidation of appeals and other proceedings;
 - (h) all forms, registers, books, entries and accounts which may be necessary or desirable for the transaction of the business of Revenue Courts;
 - (i) the time within which, in the absence of any express provision, appeals or applications for revision may be filed;
 - (j) the cost of and incidental to any proceedings;
 - (k) examination of witnesses on commission and payment of expenses incidental to such examination;
 - (1) licensing of petition-writers and the regulation of their conduct.
 - (2C) Such rules shall, from the date of publication or from such other date as may be specified, have the same force and effect as if they were contained in Schedule I.".

Amendment of Schedule I.

122. In Schedule 1 to the principal Act, in the heading, for bracket, words and figure "(see section 41)", the brackets, words, figures and letters "[see section 258(2A) and (2C)]" shall be substituted.